

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 में त्रिवारणीय
विषयों की सूची

- : 0 : -

पृष्ठ

- 1- प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-78 की कार्यवाही का पुष्टिकरण ।
- 2- प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30-11-78 में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही प्रगति
- 3- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेण्ट को समाप्त करके फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में । - 7
- 4- हजरतगंज स्थित ब्यवसायिक प्रतिष्ठान की दुकानों को किराये पर दिये जाने के विषय में । - 12
- 5- नक़्शास बाजार से सम्बन्धित आख्या । - 14
- 6- लखनऊ विकास प्राधिकरण का मीटिंग कार्य करने के लिये विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में । - 15
- 7- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 29 शमनशुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णयानुसार दो-सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार । - 19
- 8- वित्तीय वर्ष 1978-79 का पुनरीक्षित बजट - 23
- 9- व्यय-आय की प्रगति आख्या । - 24
- 10- महानगर मन्दिर समिति का मामला विचारार्थ । - 26
- 11- अभियन्त्रण कार्य पद्धति में परिवर्तन। - 27
- 12- प्राधिकरण के अन्तर्गत दिनांक 1-1-77 तथा 1-1-78 को 3 वर्ष से अधिक सेवा-अवधि वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये पदों का सृजन के सम्बन्ध में आख्या - 29
- 13- प्राधिकरण के वाहनों को चलाने के लिये ड्राइवर तथा क्लीनर के पदों के सृजन के सम्बन्ध में । - 31
- 14- प्राधिकरण के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्म-चारियों {वपरासियों} के पदों के सृजन के सम्बन्ध में - 32
- 15- उद्घान विभाग हेतु स्टाफ की स्वीकृति - 36
- 16- प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये चिकित्सक की सुविधा प्रदान किया जाना । - 37
- 17- प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में । - 38
- 18- सम्पत्ति अधिकारी तथा स्टोर परचेज अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों का सृजन । - 39
- 19- कास्ट एकाउण्टेण्ट विभाग के लिये पदों का सृजन - 41
- 20- अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का विद्युत, सेनिटरी एवं वाटर सप्लाई सहित निर्माण । - 43
- 21- पुराने डाकघाने हजरतगंज में त्रिलोकनाथ रोड के समान्तर शी रूम-कम-आफिस ब्लॉक के दो मंजिले भवन का निर्माण- 45
- 22- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।

- : 0 : -

विषय सं०	प्रस्ताव	अनुपालन
1-	विषय : दिनांक 23-9-78 की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण । पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण के नजूल सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा के लिये रिपोर्ट देने हेतु एक उपसमिति गठित की गई ।	गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 6-2-79 को बुलाई गई थी, अनुशासा अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।
2-	विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-9-78, जो पूर्वान्ह 11-00 बजे हुई, में लिये गये निर्णयों के क्रम में अनुपालन आख्या । पारित प्रस्ताव : पिक-अप द्वारा प्रस्तावित आवासीय कालोनी जापलिंग रोड पर प्रति एकड़ घनत्व से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में अनुशासा शासन को भेजी जाय । नकास बाजार से सम्बन्धित विस्थापितों के बारे में स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत की जाय ।	पत्र भेज दिया गया है । पुनः विचारार्थ रखा जा रहा है ।
3-	विषय : प्राविधिक एवं अप्राविधिक कार्यों के सम्पादन के लिये प्राधिकरण के अधिकारियों को अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में । पारित प्रस्ताव : उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग ऐण्ड डेवलपमेंट ऐक्ट, 1973 की धारा 20(2) में दर्शित कार्यों के संचालन हेतु धारा 51(2) में निहित अधिकारों के अधीन प्रातिनिधानित किये जायें ।	नोट किया गया ।
4-	विषय : श्री के०बी० सक्सेना, कास्ट एकारुण्टेण्ट तथा श्री जे०पी० श्रीवास्तव, मुख्य लेखाधिकारी को क्रमशः स्टोर तथा सम्पत्ति विभाग के कार्य सम्पुदन हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन । पारित प्रस्ताव : उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 18 एवं धारा 20(2) में दर्शित कार्यों के संचालन हेतु धारा 51(2) में निहित अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया ।	नोट किया गया ।
5-	विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्णयानुसार समय-समय पर गठित उपसमितियों के कार्य संचालन के लिये सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपसमितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाना । पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण द्वारा गठित उपसमितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिये सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत किया जाय ।	नोट किया गया ।

- 6- विषय : मोतीझील आवास योजना में दुर्बल वर्ग के लिये प्रस्तावित दोमंजिले आवास एवं साइडल एवं सविस्ज के प्लॉटों वाले क्षेत्र को महायोजना में प्रस्तावित धनत्व में छूट प्रदान करने के विषय में ।
- पारित प्रस्ताव : 1- धनत्व से छूट देने के लिये उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 13-6 के अधीन शासन को संसत्सुति संदर्भित किया जाय ।
- 2- आर०बी०ओ० ऐक्ट के डायरेक्शन्स/रेगुलेशन्स के अधीन इस क्षेत्र में छूट देकर 288 वर्गफुट के भूखण्डों पर भवन तथा 450 वर्गफुट के भूखण्ड बनाये जायें ।
- 3- श्री निगम, श्री वाजपेयी व श्री लारी, जदस्यगण, ल०वि०प्रा० की अनुशंसा पर विचार किया गया तथा प्रस्तावित योजना में नियमानुसार प्लॉट देने का निर्णय लिया गया ।
- 7- विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूरी की गई विकास योजनाओं से लाभान्वित क्षेत्रों में स्थित सम्पत्तियों पर बेटरमेण्ट चार्ज लागू करने से सम्बन्धित ।
- पारित प्रस्ताव : अलीगंज योजना से सम्बन्धित एक मामले का अध्ययन करके बेटरमेण्ट चार्ज लेवा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुये आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायें ।
- 2-जहाँ उचित समझा जाय, बेटरमेण्ट चार्ज नियमानुसार लागू किये जायें ।
- 8- विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-9-78 के विषय संख्या 15-1 के अन्तर्गत हजरतगंज ब्यवसायिक प्रतिष्ठान की दुकानों को किराये पर दिये जाने हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार ।
- पारित प्रस्ताव : ओरिजिनल एग्जीमेण्ट को एन्फोर्स करते हुये नोटिस दिया जाय । यदि विस्थापित अनुबन्धों की शर्तों का अनुपालन नहीं करते हैं तो उन्हें अनाधिकृत काबिज मानते हुये जनपथ मार्केट क्षेत्र से हटाया जाय ।
- 9- विषय : छितवापुर कामर्शियल काम्पलेक्स का कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जाना ।
- पारित प्रस्ताव : प्रतियोगिता के आधार पर कंसे आर्कीटेक्चरल का चयन किया जाय ।

पत्र भेज दिया गया है ।

कार्यवाही की जा रही है ।

माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है । अतः पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है । पत्र संलग्न है ।

आवश्यक स्टाफ के उपलब्ध होने पर तयार करायी जा सकेगी ।

इसमें श्री वाजपेयी, सदस्य, ल०वि०प्रा० द्वारा आपत्ति उठाई गई है । पत्र संलग्न है ।

आख्या प्रस्तुत है ।

कार्यवाही की जा रही है ।

- | 1 | 2 | 3 |
|-----|---|----------------------------------|
| 10- | विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 29, शमनशुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो-सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।
पारित प्रस्ताव : समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका । | पुनः प्रस्तुत है । |
| 11- | विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण का संसदीय कार्य करने के लिये विशेष वेतन दिये जाने से सम्बन्धित ।
पारित प्रस्ताव : विचार विमर्श के उपरान्त विषय स्थगित किया गया । | पुनः प्रस्तुत है । |
| 12- | विषय : अलकापुरी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की भूमि के बदले भूमि देने के सम्बन्ध में ।
पारित प्रस्ताव : समिति को 1800 क्विंट के 57 भूखण्ड सेक्टर "सी" में अलीगंज योजना की प्रचलित दर पर आविष्टित कर दिये जायें ।
2- इस क्रम में समिति की स्वीकारोक्ति दिनांक 31-12-78 से पूर्व देय हेतु लिखा जाय अन्यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण उक्त भूमि को नियमानुसार निस्तारित कर सकेगा । | |
| 13- | विषय : महानगर मन्दिर समिति का मामला प्राधिकरण के विचारार्थ ।
पारित प्रस्ताव : समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका । | पुनः प्रस्तुत है । |
| 14- | विषय : अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का निर्माण बिजली तथा मिनिटरी एण्ड वाटर सप्लाय सहित ।
पारित प्रस्ताव : समयभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका । | अनुमोदन हेतु आख्या प्रस्तुत है । |
| 15- | विषय : पुराने डाकखाने हजरतगंज में त्रिलोकनाथ रोड के समान्तर शो-रूम-कम-आफिस ब्लॉक के दो-मंजिला भवन का निर्माण कार्य ।
पारित प्रस्ताव : समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका । | अनुमोदन हेतु आख्या प्रस्तुत है । |

16- विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेण्ट को समाप्त करके प्री-होल्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : समयान्तर के कारण विचार नहीं हो सका ।

पुनः रखा जा रहा है ।

17- विषय : योजनाओं की प्रगति-विवरण दिनांक 31 अक्टूबर, 1978 तक

पारित प्रस्ताव : समयान्तर के कारण विचार नहीं हो सका ।

प्रस्तुत की जा रही है ।

18- विषय : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।

1- अलीगंज योजना से भूमि को मुक्त कराने हेतु डा० जय शंकर टण्डन का प्रार्थनापत्र ।

पारित प्रस्ताव : डा० टण्डन को सुना गया तथा जिलाधिकारी, लखनऊ को उक्त मामले में विचार करके संस्तुति प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया ।

आख्या प्रस्तुत की जा रही है ।

2- बशीरातगंज योजना में शास्त्री माण्टेसरी स्कूल को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस संस्था को प्रस्तावित छूट दी जाय ।

सूक्ति कर दिया गया है ।

3- श्री विजय कुमार रस्तोगी के नाम-परिवर्तन हेतु प्रार्थनापत्र पर विचार ।

पारित प्रस्ताव : श्री रस्तोगी को नाम-परिवर्तन करने की अनुमति दी गई तथा इसी क्रम में किसी भी सम्बन्धी के पत्र में नाम-परिवर्तन की अनुमति नियमानुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया ।

नोट किया गया ।

पृष्ठ-5

प्रतिलिपि

ज्ञानेन्द्र नाथ निगम
सदस्य
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

टेलीफोन : 46278

सी-8/5, रिवर बैंक कालोनी
लखनऊ ।

दिनांक: 1-1-79

सेवा में,

अध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

विषय : प्राधिकरण की दिनांक 30-11-78 की बैठक के कार्यवृत्त में असेगति ।

प्रिय महोदय,

दिनांक 30-11-78 को लखनऊ विकास प्राधिकरण की मीटिंग की कार्यवाही प्राप्त हुई जिसमें आइटम नम्बर 6-3 का विवरण सही नहीं है । प्लॉट उन लोगों को देने का निश्चय हुआ था जिन्होंने अपने प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करा लिया है । केवल पक्के मकान बनाने वाले को प्लॉट देने का कोई जिक्र भी नहीं हुआ था । दिनांक 5-10-78 को जो उप समिति की मीटिंग हुई थी उसमें भी 14 सदस्यों ने, जिन्होंने अपने भूखण्डों का निवन्धन करा लिया है उनको ही प्लॉट देने की अनुशंसा थी ।

दूसरी बात उन 14 सदस्यों को प्लॉट देने में त्रिरियता का निर्णय था उसका भी समावेश इसमें नहीं है ।

इसके अतिरिक्त समिति ने अनुशंसा की थी कि इन्हें 1800 वर्गफुट के प्लॉट दिये जायें और इसे समायोजित कर लेने की बात का निर्णय हुआ था परन्तु उसका भी समावेश इसमें नहीं है । कृपया अशाद्धियों को ठीक करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

भवदीय

ह0/- ज्ञानेन्द्र नाथ निगम
प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित ।

॥प्रतिलिपि॥

पृष्ठ-6

कसमा शंकर वाजपेयी
उपाध्यक्ष,
राज्य संस्थागत वित्त
सलाहकार समिति तथा
सदस्य,
लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

उत्तर प्रदेश शासन
॥सील॥

अशा0पत्रांक- 64/उ0सं0वि0-2/78

सचिव भवन
कमरा नं0-4
सचिवालय ।

लखनऊ:दिनांक दिसम्बर 22, 1978

प्रिय गौड़ जी,

दिनांक 30-11-78 को हुयी लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त हुआ, जिसमें निम्नलिखित वृत्तियाँ हैं । कृपया उनका सुधार करने की कृपा करें ।

1- विषय संख्या 4-2 में विकास अधिनियम 1969 की धारा 20(2) में निर्देशित कार्यों के संवाहन हेतु धारा 51(2) में विहित अधिकारों के प्रयोग करते हुये प्रभारी अधिकारी स्टोर को केवल रु0 5000/- अप्राविधिक कार्यों के लिये व्यय आदि की स्वीकृति बैठक में दी गयी है । उसमें एक लाख की बात नहीं कही गयी है ।

2- विषय संख्या 6(3) में सिटी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के 14 सदस्यों को प्लॉट्स देने की बात कही गई है । इसका कार्यवृत्त में कोई उल्लेख नहीं है ।

3- विषय संख्या 7(2) में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिससे वेटरमेण्ट चार्जेज लगाये जायें ।

4- विषय संख्या 9(3) में छितवापुर कामर्शियल काम्प्लेक्स हेतु प्रतियोगिता संवाहन के लिये एक उपसमिति बनायी गयी है जिसमें जिलाधीश, लखनऊ को भी रखे जाने का निर्णय हुआ था । कार्यवृत्त में कृपया वृद्धा लें ।

भवनिष्ठ

ह0/-कसमा शंकर वाजपेयी
22-12-78

श्री सुरेन्द्र पाल गौड़,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

महानगर विकास प्राधिकरण के लिए व्याख्यात्मक

—: टिप्पणी :-

विषय:-

महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेन्ट
समाप्त करने फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के संबंध में ।

पुरानी योजनाओं में लीज रेन्ट रु० 200/- प्रति बीघा प्रति वर्ष तथा रु० 250/- प्रति बीघा प्रति वर्ष लिया जा रहा है। महानगर आवासीय तथा महानगर विस्तार योजनाओं में रु० 200/- प्रति बीघा प्रति वर्ष तथा मवइया, हैवलक रोड, ट्रांस गोमती, डाली गंज राजेन्द्र नगर आदि आवासीय कालोनीज में रु० 250/- प्रति बीघा प्रति वर्ष लिया जा रहा है । इस प्रकार उपरोक्त योजनाओं पर लीज रेन्ट की वार्षिक मांग रु० 2,07,461-65 आती है । अलीगंज योजना में लीज रेन्ट प्रतिशत की दर से लिया जा रहा है । इस पर भी आपत्ति उठायी गयी है जिसके कारण यह विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष लाया गया है । इस विषय में आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद निम्न आख्या प्रस्तुत है ।

अलीगंज योजना में 266 फ्लूडांडों पर वार्षिक मांग रु० 48097-74 तथा 504 भावनों के फ्लूडांडों पर वार्षिक मांग रु० 44,966-15 है । इस प्रकार लीज रेन्ट की कुल मांग रु० 3 लाख आती है । लीज रेन्ट विभाग के अटिपठान तथा कण्टी-जेन्सी पर वार्षिक व्यय रु० 1.50 लाख आता है । इस प्रकार नेट शुद्ध आय रु० 1.50 लाख प्रति वर्ष आयेगी ।

2- अलीगंज योजना के अन्तर्गत आवण्टित फ्लूडांडों तथा भावनों की संख्या अनुलग्नक "क" में दर्शाई गयी है । विभाग में प्रचलित प्रणाली के अनुसार लीज रेन्ट फ्लूडांडों/भावनों के आवंटन की तिथि से लिया जा रहा है । यदि अनुलग्नक "क" के अनुसार फ्लूडांडों/भावनों के संबंध में लीज रेन्ट की मांग बिकाली जाय तो रु० 3-09 लाख प्रति वर्ष आती है, जो प्रथम 30 वर्षों तक प्राप्त होती रहेगी । 30 वर्षों तक पश्चात् यह मांग 50 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी । यदि प्रथम 10 वर्षों तक की आय उपरोक्त फ्लूडांड/भावन को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि के लीज रेन्ट को बिकाला जाय तो रु० 30.90 लाख 10 वर्षों की जायेगी । इस समय प्राधिकरण अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए श्रुण प्राप्त कर रहा है, उस पर औसत दर पर ब्याज 10 प्रतिशत की दर को डिस्काउण्टिंग फेक्टर समझते हुए 10 वर्षों के अंदर प्राप्त होने वाली आय की वर्तमान दानराशि बिकाली जाय तो रु० 18.98 लाख आयेगी ।

3- इस प्रकार यदि लीज होल्ड को फ्री-होल्ड में बदल दिया जाय तो इस समय जो ढाब-राशि प्राप्त होगी उसको मल्टी प्लार्ड किया जा सकता है जो प्राप्तिकरण के लिए हितकर तथा लाभदायक होगी । उस स्थिति में विकास प्राप्तिकरण को इससे अधिक श्रण की आवश्यकता नहीं होगी । लीज होल्ड की संख्या प्रति वर्ष जैसे जैसे वगर संगठित विकास योजना ब्यापक रूप से संपन्न होती जायगी, बढ़ती जायगी । मूल्ड/भावनों की संख्या में तीव्र बढ़ो-तरी के कारणवश एक ओर हिसाब किताब के रखावे में कठिनाई उत्पन्न होगी तथा दूसरी ओर अष्टाष्टाव पर चिन्ताजनक रूप से व्यय भार बढ़ता चला जायेगा और इस कार्य पर नियंत्रण रखावा अत्यंत कठिन हो जायेगा । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार जो प्राप्तिकरण की ढाबराशि बचाकर रखी जायेगी, वह भी एक बहुत बड़ी मात्रा में होगी । जिसका किसी विशेष योजना पर व्यय नहीं किया जा सकेगा । वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार आवर्तक श्रुयताव होते रहेगें ।

अतः यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि यदि प्राप्तिकरण भी सहमत हो तो भाविष्य में जो भी मूल्ड/भावत आवंटित किये जाये उनकी श्रुमि पट्टे पर ल देकर फ्री होल्ड में दी जाय ।

यहां पर यह भी अंकित करना आवश्यक है कि अतीर्ण योजना प्रथम भाग का कुल क्षेत्रफल 692 एकड़ है जिसके विरुद्ध लगभग 550 एकड़ श्रुमि अर्जित की जा चुकी है । लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्रफल आवासीय आता है जो 150.72 लाख वर्ग फुट आयेगा । जैसा कि अनुसूचक "क" में दर्शाया गया है, अब तक 55.09 लाख वर्ग फुट का आवंटन किया जा चुका है । यदि शेष मूल्डों की लागत फ्री होल्ड करने के लिए २० 1/- प्रति वर्ग फुट ही बढ़ा दी जाय तो लगभग २० 95 लाख प्राप्त होगा और द्वायद सामाजिक दृष्टिकोण से श्रुमि को फ्री होल्ड करना भी उचित होगा, क्योंकि फ्री होल्ड में श्रुमि के स्वामित्व के सारे अधिकार संबंधित स्वामी में विहित होंगे जिन्हें आवासीय क्षेत्रफल आवंटन हो चुके है, ऐसे सभी आवंटियों से आप्शव लेना होगा और यदि वह एक रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से देवे को तैयार होते है तो उनकी लीज को फ्री होल्ड में बदल दिया जायेगा । चूंकि इस समय प्राप्तिकरण अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जो ढाब ब्याज पर ले रहा है वह 10 प्रतिशत से कम पर नहीं है । अतः एक ओर तो लीज होल्ड को फ्री-होल्ड में बदलने पर प्राप्तिकरण को समुचित ढाबराशि मिलेगी जिसको मल्टी प्लार्ड -----

किया जा सकता है तथा दूसरी ओर क्रेताओं को भी फ्री होल्ड में एक वतंत्र अधिकार मितवे पर मंजूरि रहेगी ।

उपरोक्त प्रक्रिया भाविष्य में मूछांड एवं भावम आवंटित करते समय अपनायी जायेगी परन्तु पुरानी दी गयी तीजों के संबंदा में वित्तीय समीक्षा करने के उपरान्त विस्तृत आखर प्राप्तिकरण के समझा निर्णय हेतु बाद में प्रेषित की जावेगी ।

अतः विकास प्राप्तिकरण के वित्तीय भाार एवं प्रशासनिक हित को देखाते हुए प्लाटस/मूछाण्डों को फ्री-होल्ड राइट्स पर देना अत्यंत हितकर होगा ।

विषय :- अतीर्ण योजना में तीज रेन्ट के निर्धारण के संबंध में।

सारांश :- अतीर्ण योजना में ब्लॉकों एवं भवनों के अर्न्तगत भूमि के तीज रेन्ट के निर्धारण के संबंध में आर्बंटन नियमावली में निम्न प्रकार व्यवस्था है:-

भवन एवं भूमि का सम्पूर्ण मूल्य सुगतान होने के पश्चात भवन का किराया क्रय वितेज अपने आप क्रय वितेज हो जायेगा और भूमि के लिये दूसरा वितेज करना पड़ेगा। सर्व प्रथम भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी मन्की जायेगी और पट्टे का किराया ₹० 100/- प्रति वर्ष प्रति बीघा होगा प्रत्येक 30 वर्ष बाद पट्टे का नवीनीकरण कराया होगा और प्रत्येक नई नवीनीकरण की तिथि से पट्टे का किराया बढ़ जायेगा जो किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय ने अपने आदेश दिनांक 16-5-75 द्वारा तीज रेन्ट भूमि के प्रीमियम का 1 प्रतिशत निर्धारित किया। इस व्यवस्था के विरोध स्वरूप आर्बंटियों ने कई पत्र भेजे जिसके फलस्वरूप तीज रेन्ट से सम्बन्धित मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-7-78 को पेश किया गया था तथा निम्न निर्णय लिया गया।

" तीज रेन्ट के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया था कि तीज रेन्ट में एक नीति निर्धारित कर दी जाये और इसे अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये। "

यह मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2-9-78 में पुनः पेश किया गया तथा निम्न निर्णय लिया गया :-

विषय संख्या 9 दिनांक 15-7-78 जो अतीर्ण योजना में भूमि के तीज रेन्ट निर्धारण से सम्बन्ध रखता है, के क्रम में आदेश निर्गम हुआ कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को भूजकर तीज रेन्ट के बारे में सूचना मंगाई जाय।

तदनुसार काठपुर तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से तीजरेन्ट की जो खरशाही ली जा रही है उसका विवरण प्राप्त कर लिया गया है जो कि निम्न प्रकार है :-

काठपुर विकास प्राधिकरण :-

10 हजार रुपये भूमि के मूल्य पर 5 रुपया वार्षिक तथा इससे अधिक मूल्य पर 10 रुपया वार्षिक मूल्य।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण :-

नगर पालिका सीमा के अन्दर परन्तु शहर में निम्न तीज रेन्ट होगा।

₹० 5/-	प्रति 100 वर्ग गज	प्रथम 15 वर्ष हेतु
₹० 10/-	प्रति 100 वर्ग गज	अगले 15 वर्ष हेतु
₹० 15/-	प्रति 100 वर्ग गज	30 वर्ष समाप्त के पश्चात
₹० 20/50	प्रति 100 वर्ग गज	60 वर्ष के बाद

अतः उपरोक्त आख्या सहित यह विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुसूची "क"

अलीगंज योजना में आवंटित भूखंडों की दृष्टि 30-4-78 को

प्रकार	साइज	आवंटित सं०	कुल क्षेत्रफल	कुल टावरशिफ्ट 5.30 प्रतिवर्ग फुट की दर से	लीज रेंट की टावरशिफ्ट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
				॥वर्गफुट में॥	॥रुपयोंमें॥	
ए-	7150 वर्गफुट	45	3,21,750	17,05,275	17,053	
ए-1	6000 "	49	2,94,000	15,58,200	15,582	
बी	4050 "	254	10,28,700	54,52,110	54,521	
बी-1	3200 "	407	13,02,400	69,02,720	69,027	
सी	1800 "	600	10,80,000	57,24,000	57,240	
डी	1250 "	93	1,16,250	6,16,125	6,161	
डी-1	900 "	37	33,300	1,76,490	2,765	
<u>भाव</u>						
एच0आई0जी	2800 "	57	1,59,600	8,54,880	25,376	
एम0आई0जी 0	1800 "	211	3,79,800	20,12,940	20,129	
एन0आई0जी 0	1250 "	190	2,37,500	12,58,750	12,587	
ई0डब्ल्यू0एस	684 "	176	1,20,384	6,38,035	6,380	
-1						
ई0डब्ल्यू0एस-11	428 "	233	99,724	5,28,537	5,285	
ई0डब्ल्यू0एस0-111	420 "	800	3,36,000	17,80,800	17,808	
			55,09,408	291,99,862	308,914	

नोट:- उच्च आय वर्ग के भावकों की भूमि पर लीज रेंट 3 प्रतिशत की दर से तथा अन्य सभी 1 प्रतिशत की दर से लाघु प्रणाली के अनुसार तय किया गया है।

विषय संख्या - ४

पृष्ठ सं०-३२

विषय: भारत गंज स्थित व्यस्तार्यक प्रतिष्ठान की दृकानों
की किराये पर लिये जाने के विषय में।

-:०:-

उपर्युक्त विषयक आख्य

अलग

से

प्रस्तुत की

जा

रही

है।

504
~~12600~~
1253

170

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
- : टिप्पणी :-

विषय : नवकास योजना में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित न्यू-
कामर्सियल काम्प्लेक्स में पहले से विस्थापितों को दुकानों
का आवण्टन ।

सारांश : प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 23-9-78 की मद संख्या
15-3 में यह निर्देशित किया गया था कि नवकास की दुकानों
का आवण्टन विस्थापितों के पक्ष में 15 दिनों में सुनिश्चित किया जाय ।
शेष दुकाने भी उठाई जायें । इसके अनुपालन में दिनांक 7-10-78 को
नवकास योजना के विस्थापितों को न्यू काम्प्लेक्स में लाटरी द्वारा
दुकान आवण्टन करने का निश्चय किया गया । कुल 15 विस्थापितोंक
में से 14 ने बैठक में भाग लिया । इन विस्थापितों ने दुकानों का
निर्धारित किराया रु० 150/- प्रति माह तथा मांगा जाने वाला अग्रिम
प्रायः रु० 5,000/- तथा रु० 2,000/- नान-रिफण्डेबुल सिक्योरिटी
पर आपत्ति की और संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । ऐसी स्थिति में
आवण्टन की कार्यवाही सम्पन्न न होसकी । उनके द्वारा यह कहा गया
कि अन्य विस्थापितों की भाँति उनसे अग्रिम किराया न लिया जाय
तथा मासिक किराया भी पहले के विस्थापितों की भाँति रखा गया ।
इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस योजना में विस्थापितों की
दो श्रेणियाँ है, प्रथम वे जो प्राधिकरण के गठन के महापालिका द्वारा
ओल्ड काम्प्लेक्स में वर्ष 1968-69 में दुकान बनाकर उन्हें आवण्टन की
गई थी । इन लोगों ने अग्रिम किराया केवल एक माह का और मासिक
किराया रु० 41.53 तक प्रति माह तक लिया गया है । दूसरी श्रेणी
वर्तमान विस्थापितों की हैं जिन्हें न्यू काम्प्लेक्स में 8 x 12 फुट की
दुकाने दी जानी है । इससे पूर्व इस श्रेणी के विस्थापितों से अग्रिम
किराया रु० 5,000/- तथा रु० 2,000/- नान-रिफण्डेबुल सिक्योरिटी
का लिया गया है । जो 15 विस्थापित अभी दुकान नहीं पा सके हैं,
वह इसी श्रेणी के हैं । अब नवकास मार्केट के लिये नई इकोनामिक्स
बना ली गई है । नये किराये तथा प्रीमियम पर दुकाने लेने में इन
विस्थापितों को कोई एतराज नहीं होना चाहिये ।

इकोनामिक्स के अनुमोदन एवं विस्थापितों के विषय में नीति
निर्धारण हेतु प्रस्तुत है ।

लघु बाजार के दूकानदारों ने एक शपथ दिया है जिसके निम्न बिन्दु उठाये गये हैं:-

- 1- उनके द्वारा 9000/- और 7000/- अग्रिम धनराशि के विरुद्ध 6000/- और 4000/- की अग्रिम धनराशि अदा करने हैं तो उनसे प्रिमियम न लिये जाय।
- 2- किराया 250/- और 280/- के बजाय क्रमशः 280/- और 150/- लिया जाय।
- 3- बकाया किराया पर व्याज न लिया जाय।
- 4- पहली मांग की सम्बन्ध में ~~सिद्ध~~ स्थिति यह है कि बाजार की बैल्यू को देखते हुए एकदम अतिरिक्त 20 3000/- की धनराशि चुका पाना दूकानदारों के लिये मुश्किल हो सकता है। वैसे भी इस धनराशि का 50% किराया में समायोजित होना है। अतः अन्तिम न लेकर किराया वसूली पर ही किया जाना उचित होगा।
- 5- दूसरी मांग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि गड़दूकानों के किराये की धनराशि निर्माण लागत के आधार पर कलकुलैट की गई है। जिसके फलस्वरूप दो मंजिली दूकानों की लागत कम आ रही है। अतः यदि पुरानी दूकानों का जिसका क्रय किया जाना ~~न्यायोचित~~ प्रतीत नहीं होता।
- 6- किराये पर पेनाल्टी व्याज किराया दरों पर देय होता है। यह अवधि उनकी अग्रिम धनराशि जमा करने की तिथि से दूकान मिलने की तिथि की अवधि का व्याज उन्हें 4.5 प्रतिशतकी दर से देय होगा।

उपरोक्त तीनों टिप्पणियों विकास प्राधिकरण ~~के~~ आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

बनवास बाजार के दूकानदारों ने एक आपन दिया है जिसके निम्न बिन्दु इठाये गये हैं:-

- 1- उनके द्वारा 9000/- और 7000/- अग्रिम बनराशि के विरुद्ध 6000/- और 4000/- की अग्रिम बनराशि अदा करने हैं तो उनसे प्रतिनियम न लिये जाय।
- 2- किराया 250/- और 280/- के बजाय क्रमशः 280/- और 150/- लिया जाय।
- 3- बकाया किराया पर व्याज न लिया जाय।
- 4- पहली मांग की सम्बन्ध में स्थिति यह है कि बाजार की बैल्यू को देखते हुए एकदम अतिरिक्त रु० 3000/- की बनराशि चुका पाना दूकानदारों के लिये मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस बनराशि का 50% किराया में समायोजित होना है। अतः अन्तिम न लेकर किराया वसूली पर ही किया जाना उचित होगा।
- 5- दूसरी मांग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि बड़दूकानों के किराये की बनराशि निर्माण लागत के आधार पर कलकुलैट की गई है। जिसके फलस्वरूप दो मंजिली दूकानों की लागत कम आ रही है। अतः यदि पुरानी दूकानों का जिसका क्रय किया जाना ~~अवश्य~~ न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।
- 6- किराये पर पेनाल्टी व्याज किराया दरों पर देय होता है। यह अवधि उनकी अग्रिम बनराशि जमा करने की तिथि से दूकान मिलने की तिथि की अवधि का व्याज उन्हें 4.5 प्रतिशतकी दर से देय होगा।

उपरोक्त तीनों टिप्पणियों विकास प्राधिकरण की के आदेशार्थ प्रस्तुत हैं।

नवप्लास मार्केट की एकोनामिक्स

	छोटी दुकान	बड़ी दुकान
साइज़	12 x 8 फुट	15 x 9 फुट
कास्ट ऑफ कान्स्ट्रक्शन	रु 12,600/- प्रत्येक	रु 16,100/- प्रत्येक
प्रस्तावित प्रीमियम	रु 5,000/- 2500	रु 6,000/- / 3000/-
प्रस्तावित किराया	रु 100/- 120	रु 150/- 175
	1000	500 6 months
	3000	

रमेश/-	Premium		
	2500	3000] x 75 months
	Rent 135	175	

Prem 1,000

<u>old shape</u>	8x12	9x15
<u>Advance</u>	7000	9000
Actually pa.	4000	7000
Rent →	150	200

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
- : टिप्पणी : -

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण का सीडिंग कार्य करने के लिये विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सारांश- श्री देवी बखश सिंह, आशुलिपिक-सचिव दिनांक 18-8-75 से अपने कार्यों के अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के संसदीय कार्यों से सम्बन्धित एजेण्डा तैयार करने से लेकर प्रोसीडिंग नोट करने तथा उल्लेखित करने एवं उसकी प्रगति आख्या तैयार करने का कार्य कर रहे हैं । श्री देवी बखश सिंह ने इस अतिरिक्त कार्य के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक देने की मांग अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 30-6-78 द्वारा की है ।

श्री देवी बखश सिंह उपरोक्त कार्य अपने कार्य के अतिरिक्त भलीभाँति सम्पादित करते चले आ रहे हैं । प्राधिकरण में कोई समिति विभाग इस कार्य के लिये अलग से नहीं है वहाँ पर यह कहना भी अप्रासंगिक न होगा कि जब चुनी हुई महापालिका थी तब महापालिका का संसदीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता शासनादेश संख्या - 272ए॥1॥/ग्यारह-न०पा०-2के॥3॥/69 दिनांक 24 फरवरी 1973॥प्रतिलिपि सैलमन के अनुसार मिलता था । यह भत्ता महापालिका के संसदीय कक्ष के लिये निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि प्रति-माह अतिरिक्त भत्तो के रूप में मिलती थी ।

पदनाम	पद संख्या	धनराशि
1- सचिव	एक	सत्तर रुपये
2- प्रधान लिपिक	एक	पचास रुपये
3- रिपोर्टर	दो	पचास रुपये
4- प्रथम श्रेणी लिपिक	दो	चालीस रुपये
5- द्वितीय श्रेणी लिपिक	दस	चालीस रुपये
6- मशीन मैन	एक	बीस रुपये
7- दफ्तरी	एक	बीस रुपये
8- चपरासी	चार	बीस रुपये
9- वाटर मैन	दो	बीस रुपये
	24	

उपरोक्त कर्मचारियों के संसदीय विभाग में कार्यरत रहते हुये उपरोक्त अतिरिक्त भत्ता श्रमसाध्य कार्य होने के कारण मिलता था ।

3- यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि विकास प्राधिकरणों की स्थापना के उपरान्त मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक ने स्टाफिंग पैटर्न प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार समिति अनुभाग के लिये निम्न-लिखित स्टाफ प्रस्तावित किया गया था । परन्तु इस अनुभाग की स्थापना अभी तक नहीं हो पायी है :-

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1- प्रधान लिपिक | एक |
| 2- द्वितीय श्रेणी लिपिक | दो एक |
| 3- टाइपिस्ट | दो |
| 4- दफ्तरी-कम-साइकलो स्टाइलिंग
मैन | एक |
| 5- चपरासी | एक |

4- लखनऊ विकास प्राधिकरण में समिति अनुभाग की स्थापना अभी तक नहीं हुई है । फलस्वरूप विकास प्राधिकरण का संसदीय कार्य श्री देवी बख्श सिंह, आशुलिपिक-सचिव अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त करते चले आ रहे हैं । संसदीय कार्य से सम्बन्धित सचिव, प्रधानलिपिक एवं रिपोर्टर तीनों का कार्य श्री देवी बख्श सिंह करते रहे हैं । श्री देवीबख्श सिंह के अतिरिक्त सर्वश्री बृजलाल, चपरासी तथा मुस्तफा, दफ्तरी-कम-साइकलोस्टाइलिंग मैन ने उपरोक्त कार्य अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त किया है ।

5- चूँकि संसदीय कार्य भी अब काफी बढ़ गया है, अतः श्री देवीबख्श सिंह, आशुलिपिक-सचिव को अकेले कार्य करना सम्भव नहीं हो पा रहा है अतएव उपरोक्त तीन कर्मचारियों के अतिरिक्त निम्नलिखित कर्मचारियों को भी इन कार्य में लगा दिया गया है :-

- 1- श्री मोहम्मद अमीन मसउद, आशुलिपिक-उपाध्यक्ष
- 2- श्री आर०के० दीक्षित, द्वितीय श्रेणी लिपिक
- 3- श्री मोहम्मद वासिल, द्वितीय श्रेणी लिपिक, त्रिषु विभाग

जैसा कि क्रम संख्या 2 में अंकित किया जा चुका है कि जब चुनी हुई महापालिका थी तब महापालिका के संसदीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था तथा जैसा कि क्रम संख्या- 3 में अंकित किया जा चुका है कि संसदीय अनुभाग की स्थापना अभी नहीं हो पाई है । अतः निम्नलिखित कर्मचारियों को विशेष वेतन उनके सम्मुख लिखी स्थिति हुई धनराशि के अनुसार देने की अनुशासा की

की जाती है क्योंकि ये कर्मचारी अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण के ससदीय कार्य का सम्पादन कर रहे हैं और यह कार्य इनके लिये कठिन एवं श्रमसाध्य हैं ।

1- श्री देवीबख्श सिंह, आशुलिपिक-सचिव	₹ 100/-
2- श्री मोहम्मद अमीन मसउद, आ०लि०-उपाध्यक्ष	₹ 100/-
3- श्री आर०के० दीक्षित, द्वितीय श्रेणी लिपिक	₹ 75/-
4- श्री मोहम्मद वासिल, द्वितीय श्रेणी लिपिक	₹ 50/-
5- श्री मुस्तफा हुसैन, दफ्तरी-कम- साइकलो-स्टाइलिंग मैन	₹ 50/-
6- श्री बृज लाल, चपरासी	₹ 50/-

जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है कि श्री देवीबख्श सिंह आशुलिपिक, श्री मुस्तफा दफ्तरी-कम-साइकलोस्टाइलिंग मैन तथा श्री बृज लाल चपरासी पहले से ही इस कार्य को करते चले आ रहे हैं, अतः इनको दिनांक 18-8-75 से उपरोक्त विशेष वेतन तथा श्री मोहम्मद अमीन मसउद आशुलिपिक-उपाध्यक्ष, श्री मोहम्मद वासिल, द्वितीय श्रेणी लिपिक तथा श्री आर०के० दीक्षित, द्वितीय श्रेणी लिपिक को दिनांक 1-4-78 से प्रस्तावित विशेष वेतन देने की अनुमति दी जाती है ।

यहाँ पर यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यदि पूरे समिति अनुभाग की स्थापना कर दी जाय {जैसा कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक ने प्रस्तावित किया है} तो सम्भावित मासिक व्यय लगभग ₹ 2500/- आयेगा जब कि उपरोक्त विशेष वेतन का मासिक वित्तीय भार ₹ 425/- आता है ।

कृपया प्राधिकरण उपरोक्त विशेष वेतन की स्वीकृति प्रदान करें । समय समय पर उपरोक्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यरत कर्मचारियों को विशेष वेतन देने की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष को प्राधिकृत कर दिया जाय ।

संख्या- 272ए॥1॥/ग्यारह-न०प०-2के॥3॥/69

प्रेषक,

श्री कृष्ण विहारी मिश्र,
उप सचिव, उ०प्र० शासन,
विधान भवन, लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका,
लखनऊ ।

नगर पालिका अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी 1973

विषय : महापालिका संसदीय कक्ष में कार्य करने वाले कर्मचारियों का भत्ता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 593/स०वि० दिनांक 15 सितम्बर, 1972 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा नियमावली, 1962 के नियम 45, सपठित मूल नियम 46(बी), वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो से चार के अन्तर्गत लखनऊ नगर महापालिका के संसदीय कक्ष के कठिन एवं श्रमसाध्य कार्य के निष्पादनार्थ निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि प्रतिमाह की दर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

पदनाम	पद संख्या	धनराशि
1- सचिव	एक	सत्तर रुपये
2- प्रधानलिपिक	एक	पचास रुपये
3- रिपोर्टर	दो	पचास रुपये
4- प्रथम श्रेणी लिपिक	दो	चालीस रुपये
5- द्वितीय श्रेणी लिपिक	दस	चालीस रुपये
6- मशीन मैन	एक	चालीस रुपये
7- दफ्तरी	एक	बीस रुपये
8- चपरासी	चार	बीस रुपये प्रत्येक
9- वाटर मैन	दो	बीस रुपये ।

24

भवदीय

ह०/- कृष्ण विहारी मिश्र
25-2-73
उप सचिव ।

लघावक विकास प्राधिकरण के लिए आख्यात्मक टिप्पणी

विषय:- लघावक विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय सं० 29 शामिल शुल्क के निर्देश तायु किये जाने के संदर्भ में लिये गये निर्णय के अनुसार दो- सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

लघावक विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 के आइटम सं० 29 पर यह निर्णय लिया गया था कि इस संदर्भ में दो सदस्यीय एक समिति बनायी जाय जिसमें उपाध्यक्षा, लघावक विकास प्राधिकरण एवं मुख्य ग्राम नियोजक, उ०प्र० सदस्य हों और प्रस्तावों पर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा अपनाये गये शामिल-शुल्कों को अध्ययन कर प्रस्तावित शामिलशुल्क की दरों को अंतिम रूप दें ।

अतः उक्त संदर्भ में समिति की बैठक दिनांक 23-12-77 को सांय हुयी जिसमें अन्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाये गये शामिल शुल्क का अध्ययन किया गया था। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित शामिल शुल्क भी देखे गये । विचार विमर्श के उपरान्त शामिल शुल्क की जो दरें प्रस्तावित की गयी है, वह संलग्न प्रपत्र पर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

SCHEDULE OF COMPOUNDING TO BE CHARGED FOR UNAUTHORISED CONSTRUCTION

- GENERAL: 1. Prescribed Authority can refuse to compound any case of Unauthorised construction.
2. The following category of unauthorised constructions shall not be compounded.
3. Any construction not in conforming of the land use proposal contained in the Master plan of the area.
4. On Government of public land.
5. On the first floor of construction with in the prescribed side and rear set backs which have been compounded earlier.

- DEFINITIONS:- Applied- Means applied on the prescribed form to the authority in a prescribed manner, supplying all the informations required by the authorised applicant.
- Waited- Means to wait for the reply from the office of the the prescribed Authority on the application or the reminder after waiting for the prescribed period.
- Reminder- Means reminding the office of the prescribed Authority by written communication calling its attention to the (omission or neglect in the disposal of the case with in the period under sub section (3) and (4) of section 7 of the RBO Act.
- Built up Area- Means the area demarcated by the Town and Country Planning Department having more than fifty percent constructed area. But those colonies which were approved earlier by the competent Authority shall not be included in built up area.

COMPOUNDING FEES

Type of unauthorised	Category 1	Category 2 applied but not waited or remind- ed.	Category 3 applied and waited but not reminded.	Category 4 applied waited remind- ed waited there after carried out the const- ruction.
A. Construction against by laws & Regulations.				
1.(a) Construction within the front set back.	Ordinarily this construction will not be compounded if necessary due to unavoidable circumstances Rs. 40/- per sq.ft. of the area constructed with a	ordinarily this construction will not be compounded. If necessary due to unavoidable circumstances Rs. 40/- per sq.ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of the land.		

(b) Construction within side set back.	minimum of Rs. 3000/- plus the cost of the land.	Rs. 25/- per sq.ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.	Rs. 25 per sq.ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.	Rs. 25 per sq.ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.	Rs. 25 per sq.ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of land.
(c) Rear Set back.	Rs. 20/- per sq.ft. of the area constructed with a minimum of Rs. 3000/- plus the cost of the land	The fee will be half of the prescribed fee for similar type of unauthorised construction in category 1 plus a fine Rs. 500/- for not waiting and reminding the prescribed Authority.	The fee will be half of the prescribed for similar type of unauthorised construction in category I plus a fine of Rs. 300 for not reminding the prescribed authority	The fee will be 1/2 of the prescribed fee for a similar type of unauthorised construction in category 1.	
2. If the plot coverage is more than the prescribed coverage.	Rs. 20/- per sq.ft. of the area exceeding the prescribed limits plus cost of land.	-do-	-do-	-do-	
3. If the clear height inside the room is less than the prescribed height.	Rs. 16 per sq.ft. of the area of the room.	-do-	-do-	-do-	
4. If the width of the room is less than the prescribed area.	Rs. 20 per sqft. for the area by which the room is less than prescribed area.	-do-	-do-	-do-	
5. If the width of the room is less than the prescribed.	Rs. 20 per sq.ft. of the area of strip required to bring the width of the room to the prescribed limits.	- do -	-do-	-do-	

6. Room does not have minimum ventilation prescribed.	Rs. 5/- per sq.ft. of the are of the room.	-do-	-do-	-do-
7. Construction according to byelaws and regulations but the applicant has not followed clause 15(1) U.P. Uraban Planning & Dewelopment Act 1973.	A fine of Rs. 1000/- for not applying.	Rs. 750/- as fine.	Rs. 500/- as fine.	Nil.
8. Any other deviation not mentioned in the above categories.	Ordinarily such deviation will not be compounded. It nexessary due to unavoidable circumstances Rs. 25 per sq.ft. with minimum of 3000/- will be charged for such deviation.	Ordinarilyw such devia- tion will not be com- pound If necessary due to unavoidable cir- cumstances Rs. 25 per sq.ft. with minimum of Rs. 3000/- will be char- ged for such deviation.	Ordinarily such deviation will not be compounded. If necessary due to unavoilable circumstances Rs. 25/- per sq. ft. with minimum of Rs. 3000/- will be charged for such deviatatib.	NIL

NOTE: 1. Construction differenct from approved plans shall be treated as Not applied.
 2. If unathorised construction falls in more than one tyse of unathorised construction, the compounding fee shall be charged separately for every offences.
 3. Projection on public and Government land shall not be compounded in any circumstances.

विषय सं०-8

लक्षनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
- : टिप्पणी : -

विषय : पुनरीक्षित बजट वर्ष 1978-79

विवरण अलग से प्रस्तुत है ।

विभाग सं. १ पुनरीक्षित बजट के आधारे पर आय-व्ययकी योजनानुसार/प्रगति/ आंकड़े पृष्ठ 24

योजना का नाम	भूमि अर्जन			भूमि विकास				
	लक्ष्य लागत	वित्तिय प्रगति, लक्ष्य में 28.2.79 तक	सफलिक प्रगति 1-11-79 तक	कुल प्रगति 1-3-79 तक	लक्ष्य लागत में	वित्तिय प्रगति लागत में	कुल प्रगति 1-3-79 तक	
1- कानपुर रोड--	120	95.5	-	95	62	29.28	0.03	29.31
2- अलीगंज-----	14	50	-	50	138	47.99	1.00	48.99
3-अन्य योजनायेमे पूजा गुल	8	-	-	निल	21.80	0.85	0.05	0.89
4-पेपर मिल कालोनी								
5- मोतीक्षील								
6- डालीगंज								
व्यवसायिक केन्द्र								
1- हजरतगंज का म्पलेक्स								
2- नखवास मार्केट								
रेलवे सिन्डर्स उम्प								
अन्य								
स्लम								
	सामान्य व्यय							
	310.76	14.28		180.55				
	166.27							
	मु० ले० अ०							

असपके आदेशानुसार वाञ्छित सूचनाएं दिनांक 11-3-79 तक की प्रस्तुत है। दिनांक 1-3-79 तक के आ आंकड़े पूर्णतया टेनेटिव है सथा बाद में संशोधित भी हो सकते है।

आसोपरात समायोजन करने पर घाट चढ़ सकते है ।

पृष्ठ 25

भावन निमाण

आय मूल बजट पर आधारित

कुल प्रगति 11-3-79	प्रगति 1-11-3-79	वित्तीय प्रगति लाया भे 28-2-79 तक	लक्ष्य लाया भे	कुल प्रगति 11-3-79	प्रगति 1-11-3-79 तक	वित्तीय प्रगति लाया भे 28-2-79 तक	लक्ष्य लाया भे
-	---	30.42	10.50	115.25	32.50	82.75	40.00
34.09	3.67	30.42	128.20				
3.03	0.05	2.98	3.40	3.80	32.00	3.80	3.99
5.96	10.05	4.91	38.00	0.34	0.04	0.30	8.26
.25	0.25	-	8.00	-	-	-	-
4.06	0.15	3.91	10.65	6.38	0.49	5.89	13.79
1.78	0.33	1.43	3.55	0.45	-	0.45	1.22
1.19	-	1.19	3.50	-	-	-	-
2.02	0.27	1.75	3.00	-	-	-	1.41
5.42	0.96	4.56	27.71	-	-	-	-
				44.61	7.90	36.71	85.44

-: लगनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

विषय : महानगर मन्दिर समिति *

सारांश: दिनांक 23-9-78 की बैठक में दिये गये निर्णयानुसार महानगर मन्दिर समिति की साईट का निरीक्षण कर लिया गया है। महानगर गृह योजना के अन्तर्गत गठित हाई पावर कमेटी की बैठक दिनांक 10-6-59 की मद संख्या 8 में यह निर्णय लिया गया था कि मन्दिर समिति को भूमि देने के विषय पर प्रशासक द्वारा जिला प्राधिकारियों की सहायतासे कार्यवाही किया जाना उचित होगा। इसके बाद दिनांक 24-9-62 को हुई बैठक की मदसंख्या 4 के अन्तर्गत महानगर योजना में रिक्त 13320 वर्गफुट भूमि पर एक कम्युनिटी सेन्टर बनाया जाय जिसकी अनुमानितलागत रु0 30,000/- में से 10,000/-महापालिका, 10,000/- महानगर स्कीमसे तथा 10,000/- मन्दिर समिति को जो 28,000 वर्गफुट भूमि पहले से आवण्टित है उसका रु0 1/- प्रतिवर्ष नामिनल लीजरेण्ट चार्ज किया जाये। इस निर्णय से पत्रांक 23-5-78 दिनोंक 11-1-63 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि श्री वी०एल०कौल, अधिवक्ता ने हाई पावर कमेटी द्वारा किये गये आवण्टन के सम्बन्ध में दो विन्दु उठाये हैं:-

1- महानगर गृह योजना नियमावली के रूल 29 के अनुसार रियायती दर पर भूमि का आवण्टन केवल राज्य सरकार के अनुमोदन से ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से हाई पावर कमेटी द्वारा 28,000/-वर्गफुट भूमि का आवण्टन नियमों के विरुद्ध है।

2- महानगर गृह योजना राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित की गयी हैगी तथा प्रबन्धा हेतु नगरपालिका को शासनादेश द्वारा अन्तरित की गयी थी। इस योजना के पर्यवेक्षणहेतु शासन ने हाई पावर कमेटी का गठन किया था। हाई पावर कमेटी महानगर गृह योजना नियमावली 1953 के नियमों के अन्तर्गतकार्य कर सकती थी। कमेटी ने अपनी बैठक दिनांक 21-4-75 की मद संख्या-3 द्वारा यह योजना अपने समस्त "प्राप्तियां एवं देयक"के साथ लगनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी तथा मद संख्या6 के द्वारा हाई पावर कमेटी को भाग कर दिया। अधिवक्ता का मत है कि कमेटी के दोनों निर्णयशासनके स्तर से होने चाहिए थे। यह निर्णय इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र से परे थे और विधिक रूप से गृह योजना अब हाई पावर कमेटी के पर्यवेक्षण व महापालिका के प्रबन्धा में हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह मामला जाटल प्रतीत होता है अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह मामला जाटल प्रतीत होता है अतः अनुशासना की जाती है कि इस मामले में शासन से विधिक राय प्राप्त कर ली जाय।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
टिप्पणी :-

विषय :- अभियन्त्रण कार्य प्रगति में परिवर्तन दरों के सम्बन्ध में ।

आस्था :- लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने लेखों के उचित रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा स्लिमों को, कतिपय संशोधनों सहित, अपना रखा है । भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में इन नियमों में यह प्रावधान है कि देयक की प्रारम्भिक जाँच सम्बन्धित विभाग में की जायेगी । तत्पश्चात् देयक लेखा विभाग भेजा जायेगा, जहाँ उसकी दूसरी जाँच की जायेगी । फिर चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा । चेक पर संयुक्त हस्ताक्षर मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव द्वारा किये जाते हैं ।

कुछ समय से यह अनुभव किया गया है कि अभियन्त्रण कार्यों हेतु जो निविदाये आमंत्रित की गई, जो निविदाये प्राप्त ही नहीं हुई या बहुत थोड़ी संख्या में आई या दरें बहुत उच्च आयी । कई-कई बार निविदाये आमंत्रित करने पर भी उचित दरों की निविदाये प्राप्त नहीं हो पाई । ठेकेदारों तथा अधिशासी अभियन्ताओं का कथन है कि चूंकि भुगतान की उपरोक्त प्रक्रिया में विलम्ब होता है अतः या तो निविदाये दी ही नहीं जाती या फिर उंची दरों पर दी जाती है । फलस्वरूप समय से कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाते हैं ।

अकाल है कि वर्ष 1977-78 में प्राधिकरण के कार्यों की प्रगति बहुत धीमी रही । इस वर्ष कार्यों में कुछ प्रगति आई है और वह भी तब से, जबसे प्राधिकरण के अधि०अभि०/मुख्य अभियन्ता को अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है । अतएव विकास प्राधिकरण के कार्यों को द्रुति गति से चलाने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भुगतान की प्रक्रिया में भी संशोधन किया जाय ।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा सिवाई विभाग आदि में भुगतान करने का पूर्ण अधिकार अधिशासी अभियन्ता को है । यह प्रक्रिया मूलतः फाइनेन्सियल हैण्ड बुक वाल्यूम-6 में दिये गये निर्देशों पर आधारित है । इसी एनालाजी १ १ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी भुगतान करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ताओं को दे दिया जाय । इस प्रक्रिया में प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड के पक्ष में एक ब्रान्च लेखा किसी

राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलना होगा । लघुनक विकास प्राधिकरण के मुख्य लेखे से आवश्यकतानुसार धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की माँग प्राप्त होने पर उक्त ब्रान्च लेखे को समय समय पर हस्तान्तरित की जाती रहेगी । प्राप्त आय के उपभोग करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को नहीं होगा । इस प्रक्रिया में सम्बन्धित अधिशासी अभि० व्यक्तिगत रूप से समस्त लेखों के उचित रखरखाव तथा सही भुगतान आदि के लिये उत्तरदायी होंगे । मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उपाध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर लेखों की जाँच की जायेगी और जाँच-रिपोर्ट उपाध्यक्ष के अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत की जायेगी ।

अतः यह संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त प्रोसीजर को लघुनक विकास प्राधिकरण में दिनांक 1-4-79 से लागू कर दिया जावे । यह भी संस्तुति की जाती है कि यदि भविष्य में उपरोक्त प्रक्रिया आधुनिकृत करने हेतु कामर्शियल एकाउण्टिंग लागू की जाती है तो इसके लिये अध्यक्ष महोदय को अनुमोदन हेतु प्राधिकृत कर दिया जाय ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

विषय:-

प्राधिकरण के अन्तर्गत दिनांक 1-1-77 तथा 1-1-78 को 3 वर्षों से अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए पदों के सृजन के संबंध में।

सारांश:-

तृतीयक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में पदों पर कार्यरत दैनिक श्रमिक कर्मचारियों हेतु पदों के सृजन का विषय काफी दिनों से विचारणीय रहा है जिसके लिए कर्मचारी संघ भी बराबर मांग करता आया है तथा संबंधित कर्मचारी भी अपनी सेवा के स्थायीकरण की मांग करते आये है अतएव प्रश्नगत विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचारोपरान्त यह निश्चय किया गया है कि प्राधिकरण के अधीन तीन चरणों से अधिक अवधि से कार्यरत विभिन्न पदों पर कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन कर कार्यरत कर्मचारियों को उन पदों पर नियमित किया जाय । इसलिये संबंधित विभागाध्यक्षों से कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करके प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु विषय प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि संलग्न सूची "अ" तथा "ब" में 1-1-77 से पूर्व तथा सूची "ब" में 1-1-78 को 3 वर्षों 240 दिनों प्रतिदिन वर्ष से अधिक कर्मचारियों के नाम दर्शाये गये है । प्राधिकरण के बढ़े हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति किये गये थे तथा अब भी कार्य हित में इन कर्मचारियों की संबंधित विभागाध्यक्षों की अनुशंसानुसार आवश्यकता है । अस्तु इन कर्मचारियों को नियमित करने से पूर्व इन पदों की स्वीकृति आपेक्षित है अस्तु अनुरोध है कि कार्य हित में संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न पदों की स्वीकृति प्राधिकरण देने का कष्ट करें । पदों की स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित अधिकारियों की चयन उप समिति द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली की छानबीन करके कार्य अवधि इत्यादि को अंतिम रूप से जांच करने के उपरान्त संबंधित कर्मचारी के सृजित पद पर नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

वयन उप समिति के सदस्य

- 1- मुख्य लेखाधिकारी ।
- 2- कास्ट एकाउन्टेन्ट ।
- 3- विभागीय अधिकारी ।

क्रम सं०	पद नाम	पद	वेतन मान
1-	मिस्त्री सुपरवाइजर	1	172-226
2-	इलेक्ट्री शिायन	1	172-226
3-	पम्प अटेन्डन्ट	1	168-218
4-	पलम्बर	3	176-250
5-	चपरासी	1	165-215
6-	चौकीदार	4	165-215
7-	बेल्दार	2	165-215
8-	मेट	4	168-218
9-	हेल्पर	2	165-215
10-	कारपेन्टर	1	176-250
11-	भेंग मैन्	11	165-215
12-	मेसन्	1	172-226
13-	सफाई कर्मचारी कार्यालय	1	165-215

लघु विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
- : टिप्पणी : -

विषय : प्राधिकरण के वाहनों को चलाने हेतु ड्राइवर एवं क्लीनर के पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

सारांश : प्राधिकरण के गठन के पश्चात् से कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक-तानुसार स्टाफ कार/जीप/ट्रक/रोड रोलर एवं बुलडोजर आदि वाहन क्रय किये गये हैं । वर्तमान समय में कुल वाहनों की संख्या 19 है, जिसके विवरण निम्न प्रकार है :-

1- कार	4	✓
2- जीप	3	
3- ट्रक	5	} ✓
4- ट्रैक्टर	एक	
5- रोड रोलर	2	
6- टैकर	एक	
7- बुलडोजर	एक	
8- मैक्सफाल्ट मिक्सर	एक	
9- कॉक्रीट मिक्सर	एक	
10- स्टाफकार उपाध्यक्ष	एक	{महापालिका}

उपरोक्त वाहनों को चलाने के लिये ड्राइवरों की आवश्यकता है परन्तु वर्तमान समय में प्राधिकरण में केवल 6 पद ड्राइवरों के सृजित है जिनमें से इस समय 5 पदों पर नियमित ड्राइवर कार्यरत हैं एवं एक अन्य पद नियोजन विभाग में रिक्त है । शेष वाहनों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है । इन अतिरिक्त वाहनों को चलाने के लिये ड्राइवरों की नियमित रूप से आवश्यकता है ।

ड्राइवरों के साथ ही प्राधिकरण के समस्त वाहनों की सफाई आदि के लिये क्लीनर की भी नियुक्ति किया जाना कार्यरत में आवश्यक है । अतएव विभागीय कार्यरत में निम्नलिखित पदों की स्वीकृति प्राधिकरण से निर्धारित वेतनक्रम में वांछनीय है :-

1- स्टाफ कार ड्राइवर	4 पद	172-2-192-3-210-4-226
2- ट्रक/ट्रैक्टर ड्राइवर	6 पद	176-3-206-4-230-5-250
3- बुलडोजर ड्राइवर	1 पद	176-3-206-4-230-5-250
4- क्लीनर	3 पद	165-3-185-3-215

अतएव अनुशांसा की जाती है कि प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
-: टिप्पणी :-

विषय : प्राधिकरण के विभिन्न विभागों हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों
के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

सारांश- विकास प्राधिकरण में वर्तमान में कुल 80 स्वीकृत पदों के विरुद्ध
97 {70 स्थायी + 27 अस्थायी} चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
कार्यरत हैं । यह स्थिति मुख्य रूप से इसलिये उत्पन्न हुई है कि क्योंकि
गठन के समय अर्थात् 13-9-74 को दायी ओर रखी सूची के अनुसार
55 पदों के विरुद्ध 90 कर्मचारी कार्यरत थे- विभाग के अनुसार सूचना
सूची में दी गई है । वहाँ पर ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ, स्पष्ट
नहीं हो रहा है, परन्तु इतना स्पष्ट है कि लखनऊ महापालिका में
स्वीकृत पदों के अलावा कार्यरत कर्मचारियों को *future vacancies*
के विरुद्ध *absorb* किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 15-8-1966 {प्रतिलिपि
संलग्न} में निर्देश दिये गये थे ।

2- गठनोपरान्त कुल 25 पद {समय समय पर} सृजित हुये {विवरण
संलग्न} तथा कुल 7 नियुक्तियाँ की गई ।

3- उपरोक्त सभी कर्मचारियों ने कार्य विकास प्राधिकरण में किया
है तथा कर रहे हैं । अतः उनका नियमतीकरण {
कार्यहित में आवश्यक है ।

4- स्थायी पदों की स्वीकृति जो दिनांक 15-7-78 के बाद की
स्थिति में दी जानी है, उनके अलावा दिनांक 13-4-74 से 15-7-78
की अवधि में ऐसी भी स्थिति आ रही है कि कुल पदों की संख्या जो
सृजित किये जाने हैं, उनकी संख्या 27 पद तक पहुँच रही है । इन
पदों की उनके विरुद्ध दिखाये गये परिचय में सिर्फ अस्थायी स्वीकृति
उनके विरुद्ध दर्शित अवधि के लिये प्राधिकरण से संस्तुतित है । सुविधा
के लिये परिचयवाइज लिस्ट बना दी गयी है ।

5- क्योंकि चपरासियों की संख्या प्राधिकरण में बहुत अधिक है
अतः इन 17 पद जो स्थायी रूप से सृजित होंगे, चौकीदारों के पद
सृजित कराया जाना उचित होगा । इन पदों की आवश्यकता प्राधिकरण
में आज भी है । दुकानों, आफिस, कान्स्ट्रक्शन्स साइट, स्टोर आदि
पर निगरानी के लिये वर्तमान में चौकीदारों को दैनिक वेतन पर रखा
जा रहा है । स्थायी पद सृजित होने पर इन्हीं पदों पर नियमित

- 2 -

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा तथा वहीं पर उनके स्थायीकरण के विषय में विचार किया जायगा ।

6-- 17 नवसृजित पदों में से 5 स्टोर्स में तथा 12 अभियन्त्रण में सृजित कराने की संस्तुति की जाती है । वर्तमान इन शाखाओं में उपरोक्त संख्या से अधिक चौकीदार नियुक्त हैं ।

- : 0 : -

स्वीकृत कराये जाने के लिये पदों की संख्या

पृष्ठ-34

ए: पद जिनकी अस्थायी स्वीकृति वांछित है

अवधि	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी		अन्तर, जिनकी स्वीकृति वांछित है		विवरण
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	
13-7-74 - 14-10-76	55	65	27	10	27	
15-10-76 7-7-77	55 प्लस 17=72	65	34	---	27 ॥ अन्य 7 स्थायी पद के विरुद्ध ॥	इस अवधि में 17 नये पद सृजित, 7 नई नियुक्तियाँ
8-7-77 - 14-7-78	72	70	27	---	25 ॥ अन्य 2 स्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत ॥	5 अन्य कर्मचारियों को 8-7-77 स्थायी किया गया।

बी- स्थायी स्वीकृति

15-7-78 से	80	70	27	---	17 ॥ अन्य 10 स्थायी पदों के विरुद्ध ॥	8 अतिरिक्त पद सृजित दिनांक 15-7-78 से
------------	----	----	----	-----	--	---------------------------------------

Copy of G.O. No. Mpl. (B)-81-K(1)(20)/66 from Anu Sachiv, Nagar Malika(Kh) vibhag, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow, dated 15.8.1966 to Sri Hari Murti Singh, Administrator, Nagar Mahapalika, Lko.

Please refer to G.O. No., 268-Mpl-81-K-1-20/66 dated 24.2.66 regarding the creation of posts in excess of the permanent posts existing on Jan. 31 1960.

It appears that there were 5969 posts of various categories in the L.N. Mahapalika in December 1965. Govt. have now sanctioned the creation of 4892 posts only of various categories including the non-scheduled posts, the question of sanctioning 63 posts on a temporary basis till March 31, 1967 is under the consideration of Govt. Even after these posts are sanctioned the total number of posts allowed to be filled up by the Mahapalika would be 4955 which would still be less by 1014 when compared to the number of posts existing in December 1965 obviously it would be necessary for the Mahapalika to dispense with the services of a large number of its employees, with a view to avoid undue hardship to the present incumbents of the posts which are in excess. I am to suggest that the position may be examined thoroughly the extra posts may be declared surplus and the incumbents, except those whose work has been found unsatisfactory may be absorbed in future vacancies. A separate formal reference may be made to Govt. for sanctioning temporary posts in order to retain the surplus staff until such time as it is absorbed against some permanent vacancies.

Sd/- S.C.Khanna.

विकास प्राधिकरण के समस्त विचारार्थ आख्या

विभाग: उद्यान

विषय: उद्यान अधीक्षक, हेड माली तथा माली के पदों के सृजन के सम्बन्ध में

विभागीय आख्या:

यह सर्वविधित है कि विकास प्राधिकरण की देख रेख में पार्कों का क्षेत्र शून्य-शून्य: बढ़ता जा रहा है। पतंग वाले मैदान का बड़ा मार्क, लिम्ब सेक्टर का पार्क तथा अलीगंज योजना के अन्तर्गत निर्मित पार्कों को भी नये सिरे से विकसित करना है इसलिए उद्यान अधीक्षक के वर्तमान स्टाफ की पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए 5 हेड माली, 25 माली, 7 माली चौकीदार तथा एक सफाई मजदूर के पदों के सृजन की सिफारिश की है परन्तु फिलहाल निम्नलिखित पदों की सृजन हेतु संस्तुति प्रस्तुत है:

	पदनाम	सं०	वेतनमान
1-	हेड माली	5	168-2-18840रो०-3-218 एवं अनुमन्य भत्ता।
2-	माली	25	165-2-18540रो०-3-215 एवं अनुमन्य भत्ता।

इस समय नगर में महापालिका, नजूल व विकास प्राधिकरण के लगभग 350 छोटे-बड़े पार्क है जिसमें 51 पार्क महापालिका के, 17 नजूल तथा 20 विकास प्राधिकरण के विकसित दशा में है परन्तु प्रायः देशा गया है कि एक उद्यान अधीक्षक, जिनकी नियुक्ति नगर महापालिका में शासन द्वारा की गयी है उनके लिए समस्त पार्कों की देख रेख एवं विकसित करने का कार्य सम्भव नहीं हो पाता। अतः सिद्धान्तिक रूप में यह निर्णय लेते हुए कि एक उद्यान अधीक्षक विकास प्राधिकरण के लिए प्रथम नियुक्त किया जाए जो विकास प्राधिकरण तथा नजूल के पार्कों की देख-रेख एवं विकास का कार्य करें।

अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण से उक्त पद के लिए निवेदन किया गया था। अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 27-1-79 द्वारा उक्त पद सृजित किया जा चुका है जिसको औपचारिक अनुमोदनार्थ विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखने की कृपा करें।

लगनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
टिप्पणी

विषय : प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये चिकित्सक की सुविधा
प्रदान किया जाना ।

सारांश : लगनऊ विकास प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों की सुख-
सुविधा के लिये तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक
10-7-78 द्वारा एक चिकित्सक डा० अनिल वोगरा, की नियुक्ति
रु० 500/- मासिक भत्ते पर की गई थी । यह सुविधा अभी तक
कर्मचारियों को उपलब्ध है । कर्मचारी प्रतिनिधियों ने उपाध्यक्ष से
मिल कर इस सुविधा को चालू रखने की प्रार्थना की थी, जिसे
उपाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 1-3-79 द्वारा स्वीकार करते हुये चालू
रखने के आदेश प्रदान किये थे तथा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के
भी आदेश प्रदान किये थे, अतएव अनुरोध है कि समस्त कर्मचारियों के
हित में को दृष्टिगत रखते हुये इस सुविधा अर्थात् रु० 500/- मासिक
भत्ते पर डा० अनिल वोगरा की पार्ट टाइम नियुक्ति की स्वीकृति
प्रदान करने के लिये संस्तुति की जाती है ।

- : 0 : -

लघनऊ विकास प्राधिकरण के लिये व्याख्यात्मक
- : टिप्पणी :-

विषय : प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों के पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स
दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सारांश : प्राधिकरण द्वारा सृजित अभियन्त्रण खण्डों हेतु सहायक अभियन्ताओं
की नियुक्ति चयन समिति के परिणाम स्वरूप की गयी थी ।

चयन समिति की अनुशंसानुसार सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति की
गई है । श्री राकेश भाटिया चयनित अभियन्ताओं में से एक है ।

श्री राकेश भाटिया ने कार्यभार ग्रहण करते समय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया
था, जिसमें उन्होंने अन्य बातों के अलावा रु० 100/- प्रतिमाह पोस्ट-
ग्रेजुएट एलाउन्स दिये जाने की माँग की है । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय
है कि इस के पूर्व श्री राकेश भाटिया राजकीय निर्माण निगम में सहायक
अभियन्ता के पद पर नियुक्ति थे एवं उन्हें वहाँ पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स
प्राप्त हो रहा था । शासकीय कर्मचारियों को पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स
दिये जाने का प्रावधान है ।

अतः अनुशंसा की जाती है कि प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं
को भी इन्सेण्टिव § के रूप में पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स
दिया जाय ।

- : 0 : -

दीक्षित/-

विषय:- सम्पत्ति अधिकारी तथा स्टार एवं परचेज अधिकारी तत्परता के लिए
अधिकारी के पद (रजि) के सम्बन्ध में

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि-अर्जन करने के पश्चात् भूमि का विकास किया जाता है और उसके पश्चात् या तो भूखण्डों का विक्रय होता है अथवा विभिन्न प्रकार के भवन बनाकर उनका विक्रय किया जाता है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दूकानों, व्यवसायिक केंद्रों का निर्माण करके उनके निस्तारण के की कार्यवाही भी जाती है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर जो छुटपुट भूखण्ड उपलब्ध हैं उनका निस्तारण किया जाता है। मण्डियों आदि का नीलाम भी किया जाता है। विभिन्न योजनाओं में लीज रेंट तथा किराया क्रय पद्धति के आधार पर निस्तारित भवनों की किराये वसूल करने का कार्य भी होता है। चूंकि उपरोक्त कार्य पूर्णकालिक हैं तथा प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य है, अतः उपरोक्त कार्य हेतु एक सम्पत्ति अधिकारी होना चाहिये, जो उपरोक्त समस्त कार्यों का निष्पादन भली प्रकार से कर सके जिससे प्राधिकरण को नियमित आय में तत्परता सुनिश्चित की जा सके। अतः संस्तुति की जाती है कि एक सम्पत्ति अधिकारी का पद वेतनक्रम ८००-१४५० तथा अन्य अनुमन्य मत्तों में सृजित कर दिया जाय।

Bldgs

२- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अभियन्त्रण कार्यों की पद्धति का विश्लेषण किया गया। यह प्रकाश में आया कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को विलिङ्ग मेटेरियल परिषद द्वारा ही सफाईकिये जाते हैं तथा सिर्फ लैबर कान्ट्रैक्ट पर या डिपार्टमेंटल रखी जाती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे। प्रस्तावित कार्यों के लिये टैण्डर मांगने पर ऐसी स्थिति आती है उदा या तो टैण्डर मांगने पर ऐसी स्थिति आती है या तो टैण्डर आते ही नहीं या कम प्राप्त होते हैं अथवा दरें अत्यधिक उच्च प्राप्त होती हैं। अतः कार्यक्षेत्र में आवश्यक है कि स्टार परचेज लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं करके सम्बंधित ठेकेदार को अथवा विभागीय निर्माण इकाई को उपलब्ध कराये। वैसे भी प्राधिकरण अन्य सामग्री की खरीद के लिये व्यवस्था की जानी है।

अतः संस्तुति की जाती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक पूर्णकालिक स्टार परचेज आफिसर का पद वेतन क्रम ८००-१४५० में सृजित किया जाय।

३- लखनऊ विकास प्राधिकरण की गतिविधियों से लखनऊ नगर के हजारों नागरिकों का कल्याण पड़ता है। प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे आवासीय भवनों, भूखण्डों, दूकानों आदि का विवरण जानने हेतु कार्यालय में प्रायः क्लाइन्ट्स काफी अधिक संख्या में आते रहते हैं। ये क्लाइन्ट्स कई बार स्तर उधर आवश्यक सूचना उपलब्ध न होने के कारण मटकते रहते हैं और उन्हें पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है।

इसके प्राधिकरण की गतिविधियाँ से मास कम्युनिकेशन मैडिया जैसे आकाशवाणी; टेलीविजन तथा स्थाचार पत्र आदि को नियमित रूप से अपनी गतिविधियों के विषय में सूचना देनी होती है।

तीसरे सम्पत्ति के निस्तारण के लिये आवश्यक प्रचार नहीं हो पाता जिससे सम्पत्ति का वांछित मूल्य नहीं मिल पाता। प्राधिकरण में जब सम्पर्क अधिकारी न होने के कारण उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण पहलू पकड़ गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कानपुर विकास प्राधिकरण में एक जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन सम्पर्क अधिकारी का एक पद वैतनक्रम ५५०-१२०० में सृजित किये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है।

कानपुर विकास प्राधिकरण की कुलना में पदों की स्थिति सूचनार्थ प्रस्तुत है।

	कानपुर विकास प्राधिकरण	ल०वि०प्रा०
सचिव	एक	एक
अतिरिक्त सचिव	एक	एक
संयुक्त सचिव	तीन	--
जन सम्पर्क अधिकारी	एक	--
उप निदेशक	एक	--

विषय सं० १६

पृष्ठ ---४२

विषय- कास्ट एकाउन्टेन्ट विभाग के लिये पदों का सृजन

उपरोक्त विषय पर आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

विकास प्राधिकरण की बैठक के समस्त विचारार्थ आख्या

विषय: कास्ट एकाउन्टेन्ट विभाग के लिए पदों का सृजन।
 कास्ट एकाउन्टेन्ट
 श्री के०वी० सबसेना को कुछ समय पूर्व स्टोर तथा मटीरियल मैनेजमेन्ट का कार्य सौंपा गया है। उनके कामक्षियत एकाउन्टिंग के अनुरूप एकाउन्ट्स के रख-रखाव की भी अपेक्षा की गयी है। अब से उन्होंने स्टोर का कार्य सम्भाला है, आवश्यकतानुसार सचिव महोदय के निर्देश से विभिन्न विभागों से स्टाफ दिया गया है। इस समय उनके साथ एक सहायक अभियन्ता, तीन अवर अभियन्ता, तीन द्वितीय श्रेणी लिपिक तथा तीन चपरासी कार्यरत है। यह स्टाफ स्टोर व कास्ट एकाउन्टेन्ट के स्थायी स्टाफ के अति-रिक्त बढ़े हुए कार्य को सम्पन्न करने के लिए लगाया गया है जो कि अधि-शासी अभियन्ता-III के छत्रों से प्राप्त करके लगाया गया है।

कास्ट एकाउन्टेन्ट के अपनी आख्या दिनांक 8-3-79 के द्वारा निम्नलिखित स्टाफ के नियुक्ति की स्थायी रूप से मांग की है :

क्रम संख्या	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान
1-	सहायक अभियन्ता	1	350-700
2-	अवर अभियन्ता	4	300-500
3-	कास्ट असिस्टेन्ट	2	350-700
4-	प्रथम श्रेणी लिपिक	1	195-315
5-	द्वितीय श्रेणी लिपिक	3	185-280
6-	आशुलिपिक	1	240-424
7-	लेखा लिपिक	2	195-315
8-	चौकीदार	4	165-215
9-	चपरासी	4	165-215

क्रम संख्या 1 व 2 में उल्लिखित स्टाफ में से एक सहायक अभियन्ता तथा 3 अवर अभियन्ताओं को सचिव महोदय के निर्देशानुसार मुख्य अभियन्ता ने पहले ही उनके साथ पोस्ट कर दिया है परन्तु ऐसे सभी कर्मचारियों के वेतन जिस छण्ड में वे मूल रूप में कार्यरत है वहाँ से आहरित किए जा रहे है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक है कि कास्ट एकाउन्टेन्ट के विभाग में ये पोस्टे पूर्ण रुपेण स्वीकृत करके सृजित कर दी जाए।

की
 दो कास्ट असिस्टेन्ट नियुक्त इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में लेखों को कामक्षियत एकाउन्टिंग के सिस्टम पर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इनकी रूपया 350-700 के वेतनक्रम में पद सृजित करके

नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम श्रेणी लिपिक एक, द्वितीय श्रेणी लिपिक-2, आशुलिपिक-1, चौकीदार-4 तथा चपरासी 4 इन सभी के पदों का सृजन वर्तमान लखनऊ विकास प्राधिकरण में लागू वेतनक्रम में किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त सभी पदों को सृजन के हेतु उक्त विषय विकास प्राधिकरण की बैठक में विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति की जाती है।

विषय:- अलीगंज योजना में चतुर्था भाग में 25 एम० आई०जी० भावनों का निर्माण विजली तथा सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई सहित ।

सारांश:-

25 एम० आई० जी० भावनों के निर्माण हेतु सर्व श्री इम्पीरियल का० की सर्व निम्न निविदा धानांक 10,24,920/52 पै० विकास प्राधिकरण के बैठक दिनांक 30-11-78 में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी परन्तु उक्त बैठक में इस विषय पर विचार नहीं हो सका।

उपरोक्त कार्य हेतु उपाध्यक्षा महोदय के द्वारा दिनांक 24-8-77 को रू० 9,28,000/- का प्रकालन इन्जी० कान्स्ट्रक्शन्स तथा वर्क चार्ज स्टैवलिसमेंट समेत स्वीकृति किया गया प्रथम बार दिनांक 20-9-77 को निविदा आमंत्रित किये गये कोई निविदा नहीं प्राप्त हुई दूसरी बार नवम्बर के माह में निविदा मांगी गई पुनः कोई निविदा नहीं प्राप्त हुई तीसरी बार दिनांक 3-1-78 को निविदा मांगी गई तीन निविदायें प्राप्त हुई थी डी० एम० ब्रदर्स की सर्व निविदा बहुत उच्च थी अतः निविदा निरस्त करके दिनांक 17-1-78 को पुनः निविदा मांगी तथा मे० नालन्दा कान्स्ट्रक्शन्स की रू० 8,32,987/03 पै० की निविदा स्वीकृति की गयी परन्तु तमाम प्रयासों के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा एकरारनाम नहीं किया गया अतः निविदा रद्द करके ठेकेदार की प्रतिभूति जप्त कर ली गयी पुनः दिनांक 26-7-78 को निविदा मांगी गयी निम्न दो निविदा प्राप्त हुई :-

1- मेसर्स इम्पीरियल कान्स्ट्रक्शन्स

1- सिविल वर्क	60 प्रति०	9,17,072-00
2- सेनेटरी वर्क	55 प्रति०	88,534-00
3- इलेक्ट्रिक वर्क	20 प्रति०	34,494-00

10,40,100=84 पै०

2- मेसर्स यूनाइटेड ब्रदर्स

1- सिविल वर्क	65 प्रति०	9,45,730-50
2- सेनेटरी वर्क	60 प्रति०	91,390-80
3- इलेक्ट्रिक वर्क	15 प्रति०	33,056-75

10,70,178-05

उपरोक्त निविदाओं में से मे० इम्पीरियल कान्स्ट्रक्शन्स की निविदा सर्व निम्न है जो कि वर्ष 1972 के शिड्यूल पर आधारित व्यायानुमान से

57.68 प्रति० है जिस समय उक्त प्रकार का किया गया था उस समय से बाजार में भावन निर्माण सामग्री की दरें बहुत बढ़ गई हैं। अतः वर्ष 1972 के शिड्यूल पर वर्तमान इन्जी० एण्डो ठेकेदारों में लगाकर तुलना करने पर निविदा 1.27 प्रति० निम्न आती है। ठेकेदार ने पुनः अपने पत्र दिनांक 6-11-78 के द्वारा अनुरोध किया है कि यदि उसे सीमेंट रु० 23-50 की दर से दी जाती है तो वह अपनी दरें घटाकर निम्न कर देगा।

1- सिविल वर्क	59 प्रति०
2- सेनेटरी वर्क	45 प्रति०
3- इलेक्ट्रिक वर्क	१ प्रति०

उक्त परिस्थितियों में अब मेसर्स इम्पीरियल कान्स्ट्रक्शन की निविदा 1972 के शिड्यूल पर प्रकारिक धानराशि से 55.52 प्रति० उच्च रह जाती है। बाजार में भावन निर्माण सामग्री की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए उक्त दरें उचित हैं। अतः मेसर्स इम्पीरियल कान्स्ट्रक्शन की निविदा रु० 10,24,920/52 पै० की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है चूंकि निवेदित धानराशि प्रकारिक धानराशि से उच्च है। अतः यह विषय विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है।

चूंकि कार्य आवश्यक था इस कारण अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 23-12-78 को प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। विषय प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

मुख्य अभियन्ता

०
विषय
नं. २।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

हजरतगंज

विषय- पुराने डाकघाने में त्रिलोक नाथा रोड के समानंतर शो रुम कम आफिस
स ब्लॉक के दुर्भोजित भावन का निर्माण ।

हजरतगंज कार्मशायत काम्पलेक्स के प्रागण में त्रिलोक नाथा रोड के समान्तर
तर एक आफिस कम शो रुम ब्लॉक का निर्माण प्रस्तावित है। इससे पूर्व शो रुम
आफिस ब्लॉक के स्थान पर शोप कम आफिस ब्लॉक का प्रस्ताव था परन्तु
उपाध्यक्ष के कक्षा में हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उक्त काम्पलेक्स
में पहले से ही 103 दुकानें बनायी जा चुकी हैं। अतः और अधिक दुकानों की
कोई जरूरत नहीं है। चूंकि इस क्षेत्र में शो रुम की कमी है। अतः उपाध्यक्ष महोदय
के निर्देशानुसार ब्लॉक की डिजाइन के आधार पर एक व्ययानुमान 10,07588/-
का बनाया गया जिसकी निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय
से दिनांक 27.10.78 को विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राप्त
की गयी है। तदनुसार दिनांक 16.11.78 को निविदा आमंत्रित किये गये।

प्राप्त निविदाओं में से सर्व निम्न निविदा सर्व श्री कोहली कान्टो कम्पनी
की एनराबिलिटी 10,28,495/- की प्राप्त हुयी जो आगणन एनराबिलिटी से
10-241/- उच्च है। चूंकि आगणन पीओडब्लूडीए के सब 78 के शिड्यूल पर
आधारित है। परन्तु वर्तमान बाजार भाव कुछ आइटम के काफी उच्च हैं। अतः
आगणन में बाजार की दरें लगाने पर व्ययानुमान रु 10,51,073-00 का होजाता
है। कार्य की आवश्यकता को देखते हुये विकास प्राधिकरण की स्वीकृति की
प्रत्याशा में उपरोक्त की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23.11.78 का ले ली गयी
थी। अतः प्रश्नगत संशोधित व्ययानुमान रु 10,51,073-00 तथा सर्व निम्न
निविदा मेसर्स कोहली कान्टो कम्पनी की एनराबिलिटी रु 10,28,495/- की विकास
प्राधिकरण की औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ टिप्पणी

विषय: तालकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या 4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में 3

सारांश: सर्वश्री आर्य इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को इन्डस्ट्रियल एरिया स्कीम, तालकटोरा रोड, लखनऊ में भूखण्ड संख्या इन्डस्ट्री लगाने हेतु आवंटित किया गया था। यह लीज वर्ष 1965 में सम्पादित हुई थी तथा उसके उपबन्धों के अनुसार लेसी को बार-बार मास के अन्दर नियमानुकूल इन्डस्ट्री हेतु फैक्टरी का निर्माण पूर्ण कर लेना चाहिये था। लेसी ने दिनांक 5-5-76 को भावन विभाग में स्वीकृत हेतु एक भावन चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वश्री आर्य इन्डस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड के कार्यालय कक्षा व बाउन्ड्री वाल का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। भावन विभाग द्वारा आपत्ति उठाने पर लेसी ने पुनः दिनांक 28-10-76 को भावन चित्र प्रस्तुत किये जिसमें पिक्चर हाल की बाउन्ड्री वाल का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। भावन विभाग द्वारा पुनः आपत्ति उठाई गई और लेसी ने पुनः दिनांक 4-12-76 को नये भावन चित्र प्रस्तुत किये जिसमें केवल बाउन्ड्री वाल का निर्माण प्रस्तावित था और अन्ततोगत्वा भावन विभाग द्वारा बाउन्ड्री वाल के भावन चित्र को परमिट संख्या 4483 दिनांक 26-3-77 द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई।

2- तदुपरान्त लेसी (डायरेक्टर, आर्य इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ उक्त भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तित करने के विषय को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने जावोपरान्त अपने पत्र संख्या: 977/22 टी पी०/लखनऊ सिनेमा/टी०सी०पी०/77 दिनांक 16/8/78 द्वारा इस स्थल पर सिनेमाहाल न बनाने का सुझाव दिया। शासन ने भी इस विषय पर भू-उपयोग परिवर्तन एवं लीज की शर्तों के परिवर्तन करने के लिए जानकारी चाही और प्राधिकरण द्वारा शासन की जानकारी में पूर्ण तथ्य पत्र संख्या 42/एस० टी० पी०/एल० डी० ए० दिनांक मई 20, 1978 द्वारा लाये गये पुनः लेसी ने अध्यक्ष/आयुक्त से आग्रह किया कि इस स्थान को औद्योगिक से व्यापारिक में परिवर्तित किया जावे। इस पर वीरिष्ठ नगर नियोजक ने पत्र प्रस्तुत किया कि क्षेत्रकी आस पास की कालोनियों में निश्चय ही पूर्व में व्यापारिक क्षेत्र प्रस्तावित किये जाते हैं अतः यह कहना उचित नहीं है कि व्यापारिक क्षेत्र उक्त कालोनियों को किसी प्रकार सुविधा प्रदान करेगा। जहाँ तक इस क्षेत्र के आस पास हो रहे विकास का प्रश्न है इस समय उक्त प्लॉट के एक तरफ पेट्रोल पम्प तथा दूसरे तरफ एक शोड बना हुआ है तथा सामने की तरफ कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्य कर रहे हैं अतः इन औद्योगिक विकासों के बीच दुकानें एवं कार्यालय बनाने की अनुमति दी जाती है तो सम्भावतया यह विकास स्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप तो होगा लेकिन ऐसा करने से पूर्व लीज प्राविधानों एवं उपयोग दोनों में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। लीज के उपबन्ध 72(5) के अनुसार इस भूखण्ड का भू-उपयोग केवल इन्डस्ट्री लगाने के लिये हो सकता है।

3. पूर्ण विषय प्राधिकरण के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत है।

809 or 416A
145

आरुधयः--
=====

हाता रसूल छाँ मलिन बस्ती निपपतन योजना महापालिका अधिनियम की धारा 357 के अधीन शासकीय गजट में दिनांक 16 जून, 1962 को प्रथम बार प्रकाशित हुई। इसे आंशिक रूप से संशोधित करके दिनांक 8/12/62 के गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। महापालिका द्वारा अनुमोदन के पश्चात यह योजना महापालिका अधिनियम की धारा 363(1) के अधीन 8/5/1965 को शासकीय गजट में प्रकाशित हुई। इस योजना में प्रतिकर के रूप में रु० 1,00,000/- की दायराशिम 16/1/70 को दी जा चुकी है तथा दिनांक 7/7/77 को 33,623 वर्ग फीट भूमि का कब्जा भी प्राप्तिकरण को प्राप्त हो चुका है। शेष स्थल पर निर्माण आदि होने के कारण कब्जा नहीं मिल पाया है। इसी भूमि में से 10620 वर्ग फीट भूमि भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत फैमिली प्लानिंग सेन्टर बनाने हेतु हस्तान्तरित की जा चुकी है। शेष स्थल पर विकास कार्य एवं 78 भावनों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। भावनों के निर्माण पर लगभग रु० 7,02,000/- खर्चा व्यय होने का अनुमान है। पूर्ण योजना का विवरण संलग्न है। वर्तमान में उपलब्ध भूमी पर 12 तीन मंजिले भावनों का निर्माण तथा विकास कार्य हेतु क्रमशः रु० 1,08,000/- तथा 1,42,000/- की योजना है।

इस योजना के विन्यास चित्र में लगभग 12500/ वर्ग फीट होत्र पार्क के लिए प्रस्तावित है। जल निगम द्वारा इस योजना होत्र में भूमिगत जलाशय बनाने के लिए लगभग 14000 वर्ग फीट भूमि की माँग की गई है। वृद्धि पार्क के अतिरिक्त शेष स्थानों पर भावनों के निर्माण का प्रस्ताव है। अतः पार्क के लिए प्रस्तावित स्थल, उक्त जलाशय के निर्माण हेतु दिए जाने का प्रस्ताव है। इस स्थल पर जल निगम द्वारा 2663 वर्ग फीट भूमि पर पम्प रूम का निर्माण किया जाएगा तथा शेष स्थल पार्क के रूप में खुला-रखा जाएगा। परन्तु पार्क का धारातल सड़क से लगभग 3 फीट ऊँचाई पर रहेगा और उसका रखा-रखाव जल निगम द्वारा किया जाएगा।

.....
.....
.....
.....

इस सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य विकास प्राधिकरण ने अपने त्रि दिनांक 27/12/78 द्वारा जल निगम को उक्त भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट की है और उन्होंने यह भी लिखा है कि इस स्कीम में हाता रसूल छाँ सहकारी गृह-निर्माण समिति को 30,800 वर्ग फीट भूमि २० 3/28 पै० प्रति वर्ग फीट की रियायती दर से दिए जाने के सम्बन्ध में महापालिका के प्रस्ताव सं० 162 दिनांक 10/4/72 द्वारा निर्णय लिया गया था और राज्य सरकार से इसके लिए स्वीकृति प्राप्त करनी थी। उसके साथ ही साथ जल निगम को भूमि दिये जाने के बारे में आपत्ति करते हुए यह विज्ञापन प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

जहाँ तक हाता रसूल छाँ सहकारी गृह-निर्माण समिति को भूमि दिए जाने का प्रश्न है उसके बारे में शासन से स्वीकृति माँगी गई थी परन्तु अभी तक इसके बारे में शासन का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक 1/7/71 को हुआ था। इस क्षेत्र के विस्थापितों को बसाने की व्यवस्था योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भावनों में की जा रही। अतः इनके पक्ष में रियायती दर पर भूमि छोड़े जाने का औचित्य नहीं बनता। यदि उनके पक्ष में 30800 वर्ग फीट भूमि छोड़ी जाती है तो योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगी और पूरी योजना ही निरस्त करना पड़ेगा। यदि उक्त सहकारी गृह-निर्माण समिति को जमीन न देने का निर्णय लिया जाता है तो उपरोक्त महापालिका के प्रस्ताव संख्या 162 दिनांक 10/4/72 को निरस्त करने की आवश्यकता होगी। उक्त तथ्यों के साथ यह विज्ञापन विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ के प्रस्तुत है।

Hata Rasool Khan Scheme

Total Land	6084.46 Sq.m.	65469 sft.
E. W. S. Houses area for 78 houses	1737.06	18690
Road	2034.51	21891 Sq. ft.
Park	1161.25	12495 ,,
Plots	1151.64	12393 ,,
	6084.46 Sqm.	65469 sft.

Land Acquisition cost.

Acquisition as per award	76682/-
10% Administrative charges.	7668/-
	84550/-
9% compound interest for 8 years.	83705/-
	1,68255/-

Development cost.

Road and drains	49210/-
Pavement	17255/-
Watermain	10566/-
Sewer	23431/-
S.W. drain	12000/-
Arbiculture	1000/-
Site levelling	500/-
Street light	5000/-
	1,18,962/-
5% Escalation charges.	5948/-
	1,24,910/-
10% administrative charges.	12,491/-
	1,37,401/-
9% interest from 1/1/57.	6,183/-
	1,43,584/-

Cost of land Acquisition Development cost.

Land Acquisition 1,68,255/-

Development cost. 1,43,584/-

3,11,839/-

Say 3,12,000/-

Taking cost of construction of each E.W.S. house as 9000/-

Total construction cost of 78 houses.

$78 \times 9000 = 7,02,000/-$

Total cost of project.

Land Acquisition
Development cost. 3,12,000/-

78 houses construction
cost. 7,02,000/-

Total 10,14,000/-

Say 10.14 Lac.

Economics

Land For 78 EWS houses
~~plots~~ plots. 18690 Sq. ft. S. ft.

12393 Sq. ft.

Total 31083 Sq. ft.

Rates for plots. 312,000

$\frac{31083}{312000} = \text{Rs. } 10/04 \text{ Sft.}$

Say Rs. 10/- per Sft.

Taking expected rates of Rs. 15/- per S. ft. for sale of plots in the locality. There may be a profit of Rs. 5/- per S. ft. on plot area 12393 Sq. ft. i.e. Rs. 0.6 Lacs.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-11-78 नजूल सम्बन्धी मामलों के निर्दिष्ट मन्वीत उप समिति की एक बैठक जो उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में दिनांक 6-2-79 को 4-00 बजे की गयी, की कार्यवाही:

उपस्थित:

- 1- श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 2- श्री योगेन्द्र नारायण, जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 3- श्री शिवेन्द्र नाथ विगम, सदस्य लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

अन्य उपस्थित:

- 1- श्री एस०पी० गौड़, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 2- श्री एन०पी० मटनगर, अतिरिक्त सचिव/नजूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 3- श्री के०पी० सिंह, वरिष्ठ नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण,
- 4- श्री राम निवास पाण्डे, नायब तहसीलदार, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
- 5- श्री शिव गुलाम मिश्र, प्रधान लिपिक(नजूल), विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

नजूल भूमि पर अतिक्रमण:--

नजूल भूमि पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण के विषय पर विचार विमर्श हुआ नजूल अधिकारी ने नजूल पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपने द्वारा पूर्व प्रेषित की गयी विस्तृत आख्या का उल्लेख करते हुए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ नजूल भूमि है विस्तृत रूप से सर्वे करावे का सुझाव दिया।

जिलाधिकारी लखनऊ ने अपना मत प्रकट किया कि अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध बल का भी प्रयोग करना होगा। अतः शासन से अनुरोध किया जाए कि नजूल मैनुवल/अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट उत्तर प्रदेश में आवश्यक संशोधन करके प्राविधान किया जाए और यदि आवश्यक हो तो इस समस्या को हल करने हेतु शासन द्वारा अधिनियम बनाये जाए जिसमें नजूल सम्पत्ति पर अतिक्रमण (Cognizable offence) माने जाए तथा सम्बद्ध अधिकारी को अधिकार हो कि वह वाद करने की बिलम्ब पूर्ण कार्यवाही करके अपने आदेश से बल पूर्वक अतिक्रमण हटा सके। जिस तरह का प्राविधान जमिन्दारी उन्मूलन अधिनियम (एक्ट 198-ए) में कर दिया गया है उसी तरह का यहाँ भी हो।

श्री शानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य लखनऊ विकास प्राधिकरण के भी निरन्तर हो रहे अतिक्रमणों पर चिन्ता व्यक्त की और कहा कि इनमें अक्सर स्टाफ की लापरवाही होती है अथवा डॉट गाँठ से अतिक्रमण कराया जाता है। के तौर पर उन्होंने बवीडला रोड इत्यादि का उल्लेख किया जहाँ पर अतिक्रमण काफी मात्रा में हो चुके हैं। श्री शानेन्द्र नाथ निगम ने यह भी सुझाव दिया कि अर्बन प्लानिंग एक्ट के अन्तर्गत जिल लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं उन व्यक्तियों को अतिक्रमण के सम्बन्ध में भवन विभाग द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विस्तृत नोटिस तामिल करायी जाए तथा उनको गिराये जाने की कार्यवाही होनी चाहिए।

वरिष्ठ नगर नियोजक ने इस प्रक्रिया में होने वाली कठिनाईयों को व्यक्त किया।

कार्यालय द्वारा भी कठिनाईयों को व्यक्त करते हुए बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए स्टाफ को समुचित सुरक्षा तथा पुलिस सहायता उपलब्ध होनी चाहिए जो पूर्व में आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकी है।

जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि समुचित सहायता दी जाएगी। साथ ही यह सुझाव दिया कि कुछ मामले पहले लिए जाए जिन पर कार्यवाही करने से अन्य अतिक्रमणकर्ताओं पर प्रभाव पड़े

विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- 1-- शासन से अनुरोध किया जाए कि नजूल मैनुवल/अर्बन प्लानिंग एक्ट तथा यदि आवश्यकता हो तो जया अधिनियम बनाकर नजूल सम्पत्ति पर अतिक्रमण को (Cognizable offence) जुर्म माना जाए ताकि नजूल विभाग/विकास प्राधिकरण तथा पुलिस विभाग सक्रिय होकर बल पूर्वक अतिक्रमण हटाने में सक्षम हो।
- 2-- अतिरिक्त स्टाफ लगाकर अतिक्रमणों का सर्वे कराया जाए तथा ऐसे मामलों में प्रभावी कार्यवाही की जाए और अनाधिकृत निर्माण को गिराने के लिए भवन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाए तथा नजूल विभाग में ऐसे मामलों को ठीक से जाँच करके भवन विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जाए।
- 3-- बवीडला रोड के दोनों तरफ नजूल भूमि पर आवासीय योजना बनवायी जाए तथा उसके क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाये जाए।

- 4-- नजूल के अपूरे रिकॉर्ड एवं पुराने तथा फटे हुए कर्षों आदि को पुनः संकलित करके सही किया जाए तथा उसके लिए कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड से पूर्ति हेतु सहायता ली जाए इसके लिए डाक लगाया जाए। कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड देख कर एक नया (up to date) नजूल रजिस्टर बनाया जाए और इस कार्य के लिए एक छार्जम बाऊल योजना बनायी जाए।
- 5-- उपरोक्त सभी कार्यों के सम्पादन करने के लिए वर्तमान स्टाफ के अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ स्वीकृत किया जाए तथा सर्वे इत्यादि का कार्य शीघ्रतिशीघ्र कराया जाए। जैसे-जैसे जांच होती जाए आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड सही किए जाए तथा अतिक्रमण-कर्ताओं के विरुद्ध एवं अवियमितताओं के लिए कड़ी कार्यवाही की जाए।

ह०/- श्रीवेद नारायण,
(श्रीवेद नारायण निगम)
सदस्य
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

ह०/- योगेन्द्र नारायण
(योगेन्द्र नारायण)
लखनऊ।

ह०/- बी०के० चतुर्वेदी,
(बी०के० चतुर्वेदी)
उपस्थित,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

नरेन्द्र
००००००

प्रस्तुत है।

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-79 की अवलोकनार्थ

अनुलग्नक " क "

आय एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण

₹ १० लाखों में

क्रम सं०	आय की प्रमुख मदें	वर्ष	वर्ष	वर्ष	व्यय की प्रमुख मदें	वर्ष	वर्ष	वर्ष
		1976-77	1977-78	1978-79		1976-77	1977-78	1978-79
				११/३/७९ तक				११/३/७९ तक
1 -	भूमि की बिक्री	133.52	67.54	64.35	अभिष्ठाान	15.33	23.96	25.93
2 -	भवनों की बिक्री	102.76	39.36	25.71	मूलधन का प्रतिदान	54.96	119.49	80.64
3 -	क - पूर्ण विक्रय ख - हायर परचेज	13.68	54.31	29.33	व्याज का भुगतान निकेतन निधि का भुगतान			
3 -	भवनों का किराया	13.92	12.59	8.94	प्रतिकर	48.58	34.57	145.00
4 -	दुकानों का प्रोमिसरम/किराया	1.71	0.62	6.83	विकास कार्य	69.99	31.09	79.19
5 -	भवन चित्र तावान/शुल्क	2.33	3.35	3.52	भवनों का निर्माण	83.80	25.59	43.33
6 -	अनुदान /अंशदान	4.59	0.25	====	दुकानों / व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण	56.78	76.40	9.05
7 -	अन्य आय	14.90	49.17	32.15	स्लम योजनायें	9.95	7.14	5.52
8 -					अन्य व्यय	28.35	54.36	73.98
	योग	287.41	227.19	170.83		367.74	372.60	462.64

नोट : 28-2-79 तक 134 लाख आय एवं 440.51 लाख व्यय की अतिरिक्त 11-3-79 तक के आंकड़ें टेनेटिव हैं और क्लासीफाईड रेबस्ट्रेक्ट बनने पर बदल सकते हैं। वित्तीय वर्ष के अन्त में आवश्यक संशोधन समायोजन उपरान्त पूर्ण धनराशि में संशोधन हो सकता है।

आय एवं व्यय का तुलनात्मक, विवरण

क्रमसं०	आय का श्रोत	बजट प्राविधान आय लाख में			आय लाख में			अनुमानित आय 1978-79 लाख में
		76-77	77-78	78-79	76-77	77-78	78-79 11-3-79 तक	
1-	सूखण्डों के विक्रय से	124	113.30	175.25	133.52	67.54	64.35	120.00
2-ए-	भवनों के पूर्ण विक्रय से	98.86	79.00	59.74	102.76	39.36	25.71	45.00
	बी-भवनों के हायर परचेज पर विक्रय	53.00	20.75	62.58	13.68	54.31	29.33	35.00
3-	मकानों का किराया	14.00	13.00	15.00	13.92	12.59	8.94	12.00
4-	दुकानों एवं कमप्लेक्स	12.10	39.20	19.16	1.71	0.62	0.83	8.00
5-	भवन शुल्क/तावना शुल्क	4.69	4.48	6.09	2.33	3.35	3.52	4.00
6-	अनुदान/अंशदान	3.90	2.24	4.00	4.59	0.25	-	-
7-	अन्य आय	10.60	40.03	27.86	14.90	49.17	32.15	45.00
		<u>321.15</u>	<u>336.00</u>	<u>369.88</u>	<u>287.41</u>	<u>227.19</u>	<u>170.83</u>	<u>260.00</u>

व्यय पक्ष

क्रमसं०	व्यय की मंदा	बजट प्राविधान			व्यय के वास्तविक आंकड़े			संशुभानित व्यय 1978-1979	
		1976-77	77-78	78-79	76-77	77-78	78-79 11-3-79 तक		
1-	अधिष्ठान	21.95	47.57	33.89	15.33	23.96	25.93	26.50	
2-	व्याज की अदायगी	80.37	119.64	132.66	54.96	119.49	80.64	132.66	
3-	प्रतिकर	169.00	201.00	242.00	48.58	34.57	145.00	200.00	
4-	विकास कार्य	219.00	232.25	243.95	69.99	31.09	79.19	120.00	
5-	मवनों का निर्माण	182.31	201.39	183.10	83.80	25.59	43.33	65.00	डालीबाग योजना में कार्य न आरम्भ होने से अलीगंज योजना एवं कानपुर योजना कम कार्य कृपया पीठ देखें ।
6-	दुकानों/कम्प्लेक्स का निर्माण	993.62	203.94	21.30	56.78	76.40	9.05	11.00	
7-	सतम सुधार की योजनाएं	40.47	31.00	27.71	9.95	7.14	5.52	10.00	कार्य की गति मंद होने से
8-	अन्य व्यय	421.99	86.04	33.45 51.25 31.76	28.35	54.36	73.98	84.00	
	योग=	1125.61	1122.83	1001.07	367.74	372.60	462.64	649.16	

1- अलीगंज योजना:

क- अर्जन:

इसमें कुल 923 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जाता है जिसके विरुद्ध 618.79 एकड़ प्राइवेट एजेन्सी तथा 45.5 एकड़ ग्राम समाज से भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी को 1.91 लाख खनराशि प्रतिकर वाटवे हेतु दी गयी है।

क्रम सं०	वर्ष	भूमि जिसका कब्जा ले लिया गया है। (क्षेत्रफल एकड़ में)	प्रतिकर की लागत (लाखों में) जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दिया गया
1-	70-71	-	3.00
2-	71-72	12.58	-
3-	72-73	81.25	8.00
4-	73-74	75.00	5.00
5-	74-75	8.12	5.00
6-	75-76	45.37	35.00
7-	76-77	144.37	45.00
8-	77-78	41.60	15.00
9-	78 टिल डेट	201.58	75.00
		618.69 एकड़	191 लाख

ग्राम समाज की भूमि 54.52 एकड़

ख- विकास एवं निर्माण कार्य:-

विवरण संलग्न है।

इसमें इस वर्ष आन्ध्रतीत प्रगति न होने के निम्न कारण थे :-

- 1- सू सीमेन्ट की कमी सीमेन्ट नवम्बर के अन्त तक प्राप्त हुई।
- 2- सरन एण्ड कं० एवं अन्य ठेकेदारों द्वारा बहुत सारे अचूरे कामों को छोड़ दिया जाना। जिनको पूरा करने में काफी कठिनाई हो रही है।
- 3- ठेकेदारों द्वारा या तो टेन्डर नहीं दिया गया या तो बहुत ऊँची दरों पर दिया गया।
- 4- महापालिका लेखा नियमावली के अनुसार अत्यधिक केन्द्रीयकरण।

उपरोक्त स्थिति में सुधार के लिए निम्न कदम उठाए गए:

- (1) डिपार्टमेन्ट कांसल्टेशन यूनिट को रिवाईव किया गया।

- (II) प्राविधिक कार्यों के लिए अधिभासी अभियन्ताओं को 50 हजार रुपया तथा मुख्य अभियन्ता को 1 लाख रुपया स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गए।
- (III) भुगतान की पद्धति में पी०डब्ल्यू०डी० के एवं आवास विकास परिषद् के पर्टन पर सुधार के लिए अगला इस मीटिंग में रखी जा रही है।

हालाकि इस वर्ष मकानों के निर्माण में वांछित प्रगति नहीं हुई परन्तु पराने बने हुए भवनों को इस वर्ष पुरा किया गया साथ ही साथ भवनों के साथ आवश्यक सुविधाएँ जैसे पानी की लाईनें, विद्युत लाईन, पार्क आदि विकास कार्यों को विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया।

ग-आय

वर्ष 76-77, 77-78 तथा 78-79 का विवरण सलग्न है।

अलीगंज योजना में कमी आने का मुख्य कारण भवन निर्माण कार्यों की स्थिरता रही। वैसे मार्च, 1979 के अन्त तक काफी आय आने की सम्भावना है क्योंकि विभिन्न विभागों के धराराणि मार्च में ही प्राप्त होती है।

2- कानपुर रोड़ योजना:

क-अर्जन:

कानपुर रोड़ योजना का अर्जन निम्नानुसार है :

क्रम सं०	वर्ष	भूमि जिसका कब्जा लिया गया। (क्षेत्रफल एकड़ में)	प्रतिकर की लागत (लाखों में) जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दिया गया।
1-	77-78	369	15.00
2-	78-79	75.56	95.00
		444.65	110.00 एकड़

कानपुर रोड़ योजना के अर्जन में प्रति निराशाजनक रही है। शासन द्वारा हिन्द नगर कालोनी की भूमि का कब्जा लेने पर रोक लगा दी गयी जिससे न केवल अर्जन कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि योजना का विकास भी प्रभावित हुआ क्योंकि पूरी कार्यवाही में एक्सेस रोड हिन्द नगर की जमीन पर होकर ही स्थित के अनुसार दी जाती है। एक्सेस रोड न होने के कारण अर्जर

के क्षेत्र का भी विकास नहीं किया जा सका।

ख- विकास एवं भवन निर्माण कार्य:

विवरण सलग्न है।

- (1) इस वर्ष ट्रांसपोर्ट की महत्वपूर्ण योजना जो काशी समय से छटाई में पड़ी हुई थी, को आरम्भ किया गया तथा विकास कार्य जैसे सड़के, विद्युत लाईने आदि कराए गए।
- (2) काबपुर रोड़ योजना में भवनों का निर्माण इसलिए आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि हिन्द नगर कालोनी की 65 एकड़ की भूमि का कब्जा लेने पर शासन द्वारा रोक लगा दी गयी थी। जैसा कि प्रस्तर एक में उल्लेख है कि इस रोक के कारण आवश्यक एक्सेस मार्गों के न मिल पाने के कारण अन्तर के क्षेत्र को विकसित नहीं किया जा सका।

ग- आय

78-79 में 40 लाख कुल योजना के बजट में प्रस्तावित था। आवश्यक उपलब्धि न होने के कारण दो मुख्य हैं:-

- (अ) ट्रांसपोर्ट नगर की अर्था व्यवस्था पर ट्रांसपोर्ट्स द्वारा आपत्ति उठाई गयी हाताकि अन्य नगरों में स्थापित ट्रांसपोर्ट नगर में भूमि के दर रेट प्रमाणित थे।
- (ब) हिन्द नगर कालोनी के स्टे आर्डर होने के कारण काबपुर रोड़ योजना में-वांछित विकास एवं निर्माण कार्यों का न होना।

3- मोती जील आवास विकास योजना:

क- अर्जन:

यह योजना लगभग 14 वर्ष पुरानी थी इस वर्ष इसे आरम्भ किया गया। इस योजना में 14.38 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया।

ख- विकास एवं भवनों का निर्माण:

78-79 का मूल बजट, पुर्नरीक्षित बजट, वास्तविक आकड़े एवं अनुमानित आकड़े का विवरण सलग्न है।

इस योजना का शिला ब्यास 23 अक्टूबर, 1978 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया। आशातीत प्रगति न होने का मुख्य कारण ठेकेदारों द्वारा टैण्डर्स नहीं दिये गये। अब इस कार्य को डिपार्टमेण्टली आरम्भ कर दिया गया है।

ग- आय:

विवरण संलग्न है ।

वांछित आय न होने का कारण निर्माण कार्य में स्थिरता रही।

3- डालीबाग:

इस योजना में 14 एम०आई०जी०, 39 एम०आई०जी०, 96 ई०डब्ल्यू० एस० भवन बनाने का प्रस्ताव था।

मूल बजट	पुनरीक्षित बजट	वास्तविक आकड़े	अनुमानित
33.37 लाख	8.00 लाख	60.000	--

इस योजना को कार्यहित में विभागीय रूप से आरम्भ किया गया था परन्तु योजना के विवादग्रस्त हो जाने पर वहाँ पर कार्य स्थगित कर दिया गया है।

5- पेपरमिल कौलोली, श्रीछामपुर:

इस योजना में 30 एम०आई०जी०, 20 एल०आई०जी० भवन निर्माण का मूल प्रस्ताव था जिनमें से 18 एम०आई०जी० भवन पूरे कर लिए गए हैं तथा शेष भूमि पर स्टे-आउट होने के कारण एम०आई०जी० भवनों का निर्माण आरम्भ नहीं किया जा सका।

मूल बजट	पुनरीक्षित बजट	वास्तविक आकड़े	अनुमानित
14 लाख मकानों 17.10 विकास	6.90 मकानों एवं विकास		

आय

मूल बजट	पुनरीक्षित बजट	वास्तविक आकड़े	अनुमानित
14.44 लाख	3.99 लाख		

6- जलपथ मार्केट, महानगर विस्तार योजना, गिराता नगर, कल्याण मार्केट, सिन्डर ड्रम एवं अन्य योजनाएँ:

व्यय

मूल बजट	पुनरीक्षित बजट	वास्तविक आकड़े (28 फरवरी तक)	अनुमानित
82.51	21.30	9.05	15.00 लाख

आय:

66.99 लाख	18.41 लाख	5.89 लाख	
-----------	-----------	----------	--

इस कमी के निम्नलिखित कारण रहे:-

- (I) अर्थ व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम की धराराशि प्राप्त नहीं हुई है। जलपथ की दुकानों का विस्तारण नहीं हो पाया जिससे वांछित प्रीमियम एवं किराये की धराराशि प्राप्त नहीं हो सकी।
- (II) शासन से भी एक वर्ष का किराया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
- (III) जैसा कि इस मीटिंग में अलग से आख्या प्रस्तुत है कि विस्थापितों से लिया जाने वाले 4 रुपया प्रति वर्ग फुट को 3 रुपया प्रति वर्ग फुट किराया कर दिया जाए।

इस वर्ष जलपथ के 104, महानगर गोल मार्केट में 10, विराता नगर में 30, अलीगंज योजना में 36, महानगर विस्तार योजना में 3 दुकानों का विस्तारण कर दिया गया है। इस वर्ष शेष दुकानों के विस्तारण भी करने का प्रयास किया जाएगा।

6- स्लॉस योजनाएँ:
—————

मूल बजटा	पूर्वरीक्षित बजट	वास्तविक आकड़े (28 फरवरी तक)	अनुमानित
49.86 लाख	27.71 लाख	5.52 लाख	

मलिन बस्ती का पर्यावरण योजना को बचे कार्यों को शासनादेशों द्वारा समाप्त कर दिया गया था तथा अब अनुदान पुराने कार्यों से अवशेष थे। इस कमी सभी कार्यों को मार्च, 79 तक पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 74 में मिले अनुदान को पूरा व्यय 8.58 का एवं पुराने मामलों का सतर्कता अधिष्ठान से पत्रावली प्राप्त होने पर सम्भव हो सकेगा।

तीनों वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष अधिक से अधिक हुई प्रगति तीनों वर्षों से अधिक प्रगति होने की सम्भावना है।

विवरण सतर्क है।

	75-77	76-77	77-78	78-79 (फरवरी के पहले)
अलीगज में प्लाटों का विक्रय	78.79	115.03	-	26.77
कावपुर रोड	-	-	-	-
बस्य योजनाएँ	1.82	18.49	-	6.43
भदलों से अग	67.35	111.42	87.55	54.44
अस्य योजनाएँ	-	3.70	5.03	-

योजनाओं की प्रगति विवरण दिनांक 11-3-79 तक
 ~~~~~

| क्र०सं० योजना का नाम       | भूमिअर्जन          |                             |                      | भूमि विकास         |                         |                      | भावक निर्माण       |                         |                      |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|                            | तद्व्य. लागतों में | वित्तीय प्रगति लक्ष्यों में | भौतिक प्रगति प्रतिशत | तद्व्य. लागतों में | वित्तीय प्रगति लागत में | भौतिक प्रगति प्रतिशत | तद्व्य. लागतों में | वित्तीय प्रगति लागत में | भौतिक प्रगति प्रतिशत |
| 1- दामपुर रोड योजना        | 120.00             | 95.00                       | 79                   | 62.00              | 29.31                   | 47                   | 0.50               | -                       | -                    |
| 2- अलीगंज योजना            | 114.00             | 50.00                       | 44                   | 138.00             | 48.99                   | 36                   | 128.20             | 34.09                   | 27                   |
| 3- अन्य योजनाएँ            | 8.00               | -                           | -                    | 21.80              | 0.89                    | 4                    | 3.00               | -                       | -                    |
| 4- सोतीझील योजना           | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 38.50              | 5.96                    | 15                   |
| 5- डालीबाग योजना           | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 8.00               | 0.25                    | 3                    |
| 6- पेपर मिल कालोनी         | ३-                 | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 4.90               | 3.03                    | 64                   |
| <u>कामशियत कामप्लेक्स</u>  |                    |                             |                      |                    |                         |                      |                    |                         |                      |
| 1- हजरतगंज कामप्लेक्स      | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 10.65              | 4.06                    | 38                   |
| 2- अकडमिस                  | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 3.55               | 1.78                    | 51                   |
| 3- सिन्डर्स डम्प           | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 3.50               | 1.19                    | 34                   |
| 4- अन्य                    | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 3.00               | 2.02                    | 67                   |
| 8- मिलन वस्ती सुधार योजना  | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 18.20              | 5.52                    | 30                   |
| 9- मिलन वस्ती निपातन योजना | -                  | -                           | -                    | -                  | -                       | -                    | 9.50               | -                       | -                    |

टिप्पणी :-

- 1- मिलन वस्ती सुधार योजना महापालिका को हस्तान्तरित की जा चुकी है। केवल पुराने कार्यों को ही पूर्ण कराया जा रहा है।
- 2- मिलन वस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत श्रृण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को योजना भोजी गयी है। श्रृण प्राप्त होने पर ही कार्य संपादन संभव होगा।।

वित्तीय वर्ष 1978-79 में प्रस्तावित भवन निर्माणों में प्रगति

| योजना का नाम -               | लक्ष्य - | पूर्णा - | प्रगति पर - | विवरण                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- अलीगंज योजना कानपुर       | 50       | ---      | ---         | निम्नलिखित अलीगंज योजना में देवट दिया गया पर परन्तु ठेकेदार काम शुरू नहीं किया गया।<br>हिन्द नगर कालोनी के स्टे कारण काम शुरू नहीं कराया गया। |
| 2- रोड योजना                 | 150      | ---      | ---         |                                                                                                                                               |
| 3- डालीबाग योजना ।           | 96       | ---      | ---         | योजना विवादग्रस्त होने के कारण कार्य राक दिया गया है।                                                                                         |
| 4- मोती झील योजना ।          | 1252     | ---      | ---         | निविदायें उच्च दरों पर प्राप्त होने के कारण कार्य विभागीय रूप से आरम्भ कराया है।                                                              |
| <u>निम्न आय वर्ग के लिये</u> |          |          |             |                                                                                                                                               |
| अलीगंज योजना ।               | 200      | ---      | +20         | कई बार निविदायें मांगते पर सतोंकजनक निविदायें न प्राप्त होने पर।                                                                              |
| पेपर मिल योजना               | 20       | 18       | ---         | भराई की नमी न होने के कारण उच्च दरों पर कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका।                                                                        |
| मोती झील योजना               | 120      | --       | 120         | मई 79 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।<br>सीमेन्ट की कमी                                                                                             |

मध्य आय वर्ग के लोगों के लिये भवनों का निर्माण कार्य

| योजना का नाम   | लक्ष्य | पूर्ण | प्रगति पर | विवरण                                                                                                                         |
|----------------|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अमीर्गज योजना  | 220    | 25    | 73        | 1- उंची दरों पर निविदाएँ प्राप्त होने पर ।<br>2- ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़कर भाग जमि के कारण ।<br>3- सीमेंट के अभाव के कारण । |
| डालीवाग योजना  | 39     | ---   | ---       | 1- योजना विवादग्रस्त हो जाने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका ।<br>2- सीमेंट के अभाव के कारण ।                                 |
| पेपरमिल कालोनी | 20     | ---   | ---       | 1- धूलकण पर स्टे आर्डर होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका । स्टे आर्डर उन्नी कराने की कार्यवाही की जा रही है ।      |

उच्च आय वर्ग के लोगों के लिये भवनों का निर्माण कार्य

|               |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अमीर्गज योजना | 100 |     |     | 40 भवनों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 1979 तक पूर्ण हो जायेगा तथा 40 भवनों का निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के मई 1979 तक पूर्ण हो जायेगा । तथा शेष 20 भवनों के निर्माण हेतु निविदा अत्यधिक उच्च आने के कारण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका है । |
| डालीवाग योजना | 14  | --- | --- | योजना विवादग्रस्त हो जाने के कारण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका है १                                                                                                                                                                             |

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-3-1979, जो  
आयुक्त, लखनऊ मण्डल कार्यालय में पूर्वाह्न 10-00 बजे हुई, का  
- : कार्यवृत्त : -

उपस्थित :

- 1- श्री शशि भूषण शरण - आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ  
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
- 2- श्री बी०जे० सोदायजी - आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन  
एवं आवास विभाग, उत्तर प्रदेश  
शासन, लखनऊ ।
- 3- श्री एस०पी० गुप्ता - संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,  
वित्त विभाग ।
- 4- श्री योगेन्द्र नारायण - जिला अधिकारी, लखनऊ ।
- 5- श्री ओ०पी० विश्नोई - मुख्य अभियन्ता {पूर्व} उत्तर प्रदेश  
जल निगम ।
- 6- श्री जे०पी० दुबे - मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,  
उ०प्र०, लखनऊ ।
- 7- श्री कल्याण शंकर वाजपेयी - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- 8- श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम - सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- 9- श्री बी०के० चतुर्वेदी - उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

अन्य उपस्थित :

- 1- श्री सुरेन्द्र पाल गौड़ - सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
- 2- श्री के०बी० सक्सेना - कास्ट एकाउण्टेण्ट/ओ०सी० स्टोर,
- 3- श्री एन०पी० भटनागर - अतिरिक्त सचिव
- 4- श्री के०पी० सिंह - वरिष्ठ नगर नियोजक,
- 5- श्री एस०एन०पी० अग्रवाल - मुख्य अभियन्ता,
- 6- श्री जे०पी० श्रीवास्तव - मुख्य लेखाधिकारी/सम्पत्ति अधिकारी

- : 0 : -

पिछली  
कार्यवाही की  
पुष्टि

विषय संख्या-2 : दिनांक 30-11-78 की अनुपालन आख्या के क्रम  
में उक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी,  
निम्न संशोधनों के साथ :-

कार्यवाही के प्रस्तर 6.3 के स्थान पर निम्न पढ़ा जाय:

क- "मोतीझील आवास योजना में सिटी कोऑपरेटिव हाउसिंग  
सोसायटी के समस्त 14 सदस्यों को साइट एवं सर्विसिज के भूखण्ड दे  
दिये जायें ।"

ख- कार्यवाही के प्रस्तर 7.2 की डिलीट कर दिया जाये ।

11/3/79 (दिनांक)

लीज होल्ड, को फ्रीहोल्ड में बदलना ।

विषय संख्या-3: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेण्ट को समाप्त करके फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने के संबंध में ।

विकास प्राधिकरण द्वारा लीज रेण्ट समाप्त करके फ्री-होल्ड अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- 1- सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया कि प्राधिकरण की योजनाओं में भूखण्डों/भवनों की भूमि लीज पर न देकर फ्री-होल्ड पर दिया जाय । *नोट किया गया*
- 2- विकास प्राधिकरण की योजनाओं में भविष्य में निस्तारित भूखण्डों/भवनों की भूमि की कीमत में 20 प्रतिशत जोड़ कर वसूल किया जावे तथा आवण्टियों को फ्रीहोल्ड अधिकार दिये जायें । *नोट किया गया*
- 3- भूतकाल में निस्तारित भवनों एवं भूखण्डों को फ्रीहोल्ड अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में आख्या अलग से विधिक राय लेकर प्रस्तुत की जाय । *अगली बैठक में प्रस्तुत किया गया*

ब्यवसायिक प्रतिष्ठान के संबंध में निर्णय

विषय संख्या-4: हजरतगंज स्थित ब्यवसायिक प्रतिष्ठान की दुकानों को किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।

नोट में प्रस्तुत निर्णयों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान द्वारा प्रदान की गई । *नोट किया गया ।*

नक़्शस बाजार की नई इकनामिक्स

विषय संख्या-5: नक़्शस बाजार से सम्बन्धित आख्या ।

नक़्शस बाजार की नई इकनामिक्स जिसमें 96 वर्गफुट की दुकानों के लिये *तथा 100 किराया* रु 5,000/- तथा 135 वर्गफुट की दुकानों के लिये रु 6,000/- प्रीमियम तथा रु 150/- किराया अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को उपरोक्त किराये एवं प्रीमियम पर दुकाने आफर की जायें । *नोट किया गया*

प्राधिकरण की मिटिंग के लिये विशेष वेतन

विषय संख्या-6: लखनऊ विकास प्राधिकरण की मिटिंग का कार्य करने के लिये विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त के क्रम में निर्णय हुआ कि विशेष वेतन के बजाय मीटिंग का कार्य करने वालों को मान्देय प्रदान किया जाय । *नोट किया गया*

क्रमशः----3-

शमन शुल्क  
पर निर्णय

विषय संख्या-7: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77  
विषय सं. 29 शमन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने  
के सन्दर्भ में लिये गये निर्णयानुसार दो सदस्यीय  
उपसमिति की आख्या पर विचार :-

विचार-विमर्श हेतु विषय आगामी बैठक हेतु स्थगित  
किया गया ।

1978-79 के  
बजट पर निर्णय

विषय संख्या-8: वित्तीय वर्ष 1978-79 का पुनरीक्षित बजट ।

8.1 वित्तीय वर्ष 1978-79 के पुनरीक्षित बजट पर  
विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन किया गया  
तथा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में बजट  
वास्तविक तथा योजनावार तैयार किया जाना  
चाहिये ।

इसका प्रस्ताव

8.2 प्राधिकरण के पास जमा धनराशि का वित्तीय  
प्रबन्ध अच्छा करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया  
जाय ।

अनुमोदन किया गया

आय-ब्यय की  
प्रगति आख्या  
पर निर्णय

विषय संख्या-9: आय-ब्यय की प्रगति आख्या ।

अवलोकन किया गया । निम्न निर्देश दिये गये :-

1- भूमि के विकास और मकानों के बनने पर हुआ  
ब्यय स्वीकृत इन्जीनियरिंग छण्डों को देखते हुये  
कम है । इसका परीक्षण कर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को  
प्रस्तुत करेंगे ।

2- छितवापूर पर ब्यवसायिक प्रतिष्ठान की भूमि  
पर कब्जा अविलम्ब ले लिया जावे और इसकी  
फेन्सिंग करा दी जाय ।

विषय संख्या-10: महानगर मन्दिर समिति का मामला विचारार्थ ।

समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका ।

अभियन्त्रण  
विभाग की  
कार्य पद्धति

विषय संख्या-11: अभियन्त्रण कार्यपद्धति में परिवर्तन ।

अभियन्त्रण कार्यपद्धति में परिवर्तन करने के सम्बन्ध  
में प्रस्तुत आख्या का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्देश  
दिया गया कि ए0जी0यू0पी0 कार्यालय से डिजीजनल एकाइ-  
ण्टेण्ट्स कार्यरहित में प्रतिनियुक्ति पर बुलाये जायें ।

नोट किया गया ।

A.A कार्यालय को प्रतिक्रिया  
क्रमशः----- 4.

दृष्टि लि (का) 11/11/77

तीन वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण ।

विषय संख्या-12: प्राधिकरण के अन्तर्गत दिनांक 1-1-77 तथा 1-1-78 को 3 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले दैनिक वेतन-भागी कर्मचारियों के लिये पदों का सृजन के संबंध में आख्या ।

तीन वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के पदों के सृजन का अनुमोदन किया गया तथा इस क्रम में निम्न लिखित पदों का सृजन किया गया :- नोट किया गया

| क्रम सं० | पद-नाम                 | पद        | वेतनमान |
|----------|------------------------|-----------|---------|
| 1-       | मिस्त्री सुपरवाइजर     | 1         | 172-226 |
| 2-       | इलेक्ट्रिशियन          | 1         | 172-226 |
| 3-       | पम्प अटेंडण्ट          | 1         | 168-218 |
| 4-       | प्लम्बर                | 3         | 176-250 |
| 5-       | चपरासी                 | 1         | 165-215 |
| 6-       | चौकीदार                | 4         | 165-215 |
| 7-       | बेल्दार                | 2         | 165-215 |
| 8-       | भेट                    | 4         | 168-218 |
| 9-       | हेल्पर                 | 2         | 165-215 |
| 10-      | कारपेण्टर              | 1         | 176-250 |
| 11-      | गैंग मैन               | 11        | 165-215 |
| 12-      | मैसन                   | 1         | 172-226 |
| 13-      | सफाई कर्मचारी कार्यालय | 1         | 165-215 |
|          |                        | <u>33</u> | १०।     |

विकास प्राधिकरण में स्टाफ पैटर्न का अध्ययन

12.2 : कार्यालय के स्टाफ पैटर्न पर अध्ययन करने के लिये एक उपसमिति का गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य तथा श्री ओ०पी० विशनोई, मुख्य अभियन्ता {पूर्व}, जल निगम सदस्य होंगे ।

प्राधिकरण के वाहनों को चलाने के लिये ड्राइवर तथा क्लीनर के पदों का सृजन

विषय संख्या-13: प्राधिकरण के वाहनों को चलाने के लिये ड्राइवर तथा क्लीनर के पदों के सृजन के सम्बन्ध में आख्या ।

इस विषय को उपरोक्त प्रस्तर संख्या 12.2 के अधीन गठित उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में पूर्वानुमति के बिना किसी भी वाहन का क्रय न किया जाये ।

नोट किया गया ।  
क्रमशः-----5.

प्रस्तुत आख्या का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि 13 जुलाई, 1974 से 14 जुलाई, 1978 तक अस्थाई रूप से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गयी तथा वर्तमान स्थिति चलती रहेगी जब तक इस सम्बन्ध में 12.2 में गठित उपसमिति की संस्तुति नहीं आ जाती है और प्राधिकरण इस पर निर्णय नहीं ले लेता है नोट लिखें समी.

उद्यान विभाग में स्टाफ की स्वीकृति

विषय संख्या-15: उद्यान विभाग हेतु स्टाफ की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक आख्या का अनुमोदन करते हुये दस माली तथा दो हेड मालियों के पदों के सृजन की अनुमति दी गई तथा निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष लखनऊ नगर के समस्त पार्कों के रखरखाव के बारे में पूरी स्थिति का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करें कि महापालिका तथा विकास प्राधिकरण के बीच पार्कों का कार्य-विभाजन किस प्रकार किया जाय । नोट लिखें समी.

प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये चिकित्सक की सुविधा

विषय संख्या-16: प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये चिकित्सक की सुविधा प्रदान किया जाना ।

विषय संख्या-12 के अधीन गठित उप समिति के समक्ष विषय प्रस्तुत किया जाय । नोट लिखें समी.

अन्य विषय

विषय संख्या-17: प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में ।  
स्थगित । युक्त उद्धृत:

विषय संख्या-18: सम्पत्ति अधिकारी तथा स्टोर परचेज अधिकारी एवं जन सम्पर्क अधिकारी के पदों का सृजन ।  
स्थगित । युक्त :

विषय संख्या-19: कास्ट एकाउण्टेण्ट विभाग के लिये पदों का सृजन ।  
स्थगित । युक्त

विषय संख्या-20: अलीगंज योजना में चतुर्थ भाग में 25 एम0आई0जी0 भवनों का विद्युत सेनिटरी एवं वाटर सप्लाई सहित निर्माण ।  
स्थगित । युक्त

प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (चपराहियों) के पदों के सृजन के विषय में ।



विषय संख्या-22: पुराने डाकघाने हजरतगंज में त्रिलोकनाथ रोड के समानान्तर शो-रूम-कम-आफिस ब्लाक के दो मंजिले भवन का निर्माण ।

स्थगित ।

विषय संख्या-22: तालकटोगा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या-4 का लखनऊ महानगरपालिका में भू-उपयोग परिवर्तन एवं लक्ष्यकारी विषय पर नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।

स्थगित ।

विषय संख्या-23: हाता रसूल का योजना के सम्बन्ध में ।

स्थगित ।

विषय संख्या-24: प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहनों को व्यक्तिगत प्रयोग में लाने की अनुमति के संबंध में ।

स्थगित ।

विषय संख्या-25: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 30-11-78 नज़र सम्बन्धी मामलों पर मनोनीत उपसमितियों की एक बैठक जो उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में दिनांक 6-2-79 को 4-00 बजे हुई, की बैठक की कार्यवाही ।

स्थगित ।

ह0/- शशि भूषण शरण  
आयुक्त,  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं अध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ ।